DEENDAYAL PORT TRUST

(Erstwhile Kandla Port Trust)

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR 2016-17

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

(भूतपूर्व कंडला पोर्ट ट्रस्ट)

वर्ष 2016-17 का
वार्षिक लेखा

INDEX

Sr. No.	Description	Page Nos.
(A)	ANNUAL ACCOUNTS	
1.	Summary of Financial Review 2016-17	1-4
2.	Balance Sheet	5
3.	Schedule of Balance Sheet	6-11
4.	Profit & Loss Account	12
5.	Schedule of Profit & Loss Account	13-16
6.	Accounting Policies and Notes forming parts of Accounts	17-21
7.	Gratuity and Pension Account	22-23
(B)	SEPARATE AUDIT REPORT & ACTION TAKEN NOTE	
1.	Separate Audit Report & Action Taken Note	24-31
2.	Annexure I	32-33
3.	Annexure II	34-36
4.	Annexure B	37

अनुक्रमणिका

मद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
(क)	वार्षिक लेखा	
1.	वित्तीय समीक्षा का सारांश 2016-17	1-4
2.	तुलन पत्र	5
3.	तुलन पत्र की अनुसूची	6-11
4.	लाभ व हानि लेखा	12
5.	लाभ व हानि लेखा की अनुसूची	13-16
6.	लेखागत नीतियाँ तथा लेखा का गठन करनेवाली टिप्पणियाँ	17-21
7.	उपदान एवं पेंशन लेखा	22-23
(ख)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तत्संबंधी कार्रवाई से संबंधित टिप्पणियाँ	
1.	लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई	24-31
2.	अनुंबंध -I	32-33
3.	अनुंबंध -II	34-36
4.	अनुंबंध - ख	37

KANDLA PORT TRUST

SUMMARY OF FINANCIAL REVIEW 2016-17

The Annual Accounts of the Kandla Port Trust for the year 2016-17 have been drawn up in the prescribed formats as required under section 102 (1) of the Major Port Trust Act 1963. The Annual Accounts are to be submitted to the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board –I, Mumbai, latest by 31.05.2017 duly approved by Board as per the time Schedule prescribed by the Central Government. Accordingly, the Annual Accounts are prepared and attached herewith. The salient features of the financial performance are as under:

2 Traffic

The year 2016-17 recorded increase of 5.39% in traffic. The Port has handled 1054.42 lakh tonnes of cargo during 2016-17 as against 1000.51 lakh tonnes in 2015-16. The traffic at Kandla and Vadinar is tabulated below:

(In lakh tonnes)

Particulars	R.E 2016-17	Actual 2016-17	Actual 2015-16
Import at Kandla	321.56	304.58	329.18
Export at Kandla	88.40	103.36	87.69
Total at Kandla	409.96	407.94	416.87
Import at Vadinar	412.60	441.28	410.96
Export at Vadinar	128.30	125.05	117.37
Total at Vadinar	540.90	566.33	528.33
Import at BOT	101.56	66.36	48.59
Export at BOT	5.75	9.87	3.73
Total at BOT	107.31	76.23	52.32
Transshipment	1.83	3.92	2.99
Grand Total	1060.00	1054.42	1000.51

3 Financial Result

The summary of the financial performance of the Port for the year 2016-17 is as under: -

(Rs. in lakhs)

Particulars	R.E 2016-17	Actual 2016-17	Actual 2015-16
Operating Income	126933.47	138314.79	98213.79
Operating Expenditure	69381.08	65878.50	62158.09
Operating Surplus	57552.40	72436.28	36055.70
Non-Operating income	21431.48	18869.60	20726.18
Non-Operating exp.	17540.71	21920.17	14569.55
Profit before tax	61443.16	69385.71	42212.33
Provision for Income tax & Deferred tax	23270.86	0.00	0.00
Profit / Loss after tax	38172.30	69385.71	42212.33

3.1 The operating income increased by Rs. 40100.99 lakhs (40.83%) over previous year. This is mainly due to: -

>> Increase of Rs. 13051.41 lakhs in cargo handling income due to increase in traffic by 5.39% & upward revision by Rs. 7709.80 lakhs and increase in royalty income from M/s. Adani Bulk (1259.46 lakhs), M/s. Essar (3627.36 lakhs) and M/s. IRE (390.84 lakhs).

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

वर्ष 2016-17 की वित्तीय समीक्षा का सार

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 (1) के अधीन यथापेक्षित विहित प्रारूप में वर्ष 2016-17 से संबंधित दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट (भूतपूर्व कंडला पोर्ट ट्रस्ट) के वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक लेखा, प्रधान निदेशक,वाणिज्यिक लेखा परीक्षा सह पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I मुंबई को अधिक से अधिक दिनांक 31.5.2017 तक भेजा जाना हैं। तदनुसार, वार्षिक लेखा तैयार कर इसके साथ संलग्न किया गया है। वित्तीय निष्पादन के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं :-

2 यातायात

वर्ष 2016-17 के दौरान या•तायात में 5.39% की वृद्धि दर्ज की गई। पोर्ट ने वर्ष 2015-16 के 1000.51 लाख टन की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 1054.42 लाख टन नौभार संभाला। कंडला तथा वाड़ीनार संबंधी य•तायात नीचे सारणी बद्ध है:-

(लाख टन में)

विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2015-16
कंडला में आयात	321.56	304.58	329.18
कंडला में निर्यात	88.40	103.36	87.69
कंडला में कुल	409.96	407.94	416.87
वाडीनार में आयात	412.60	441.28	410.96
वाडीनार में निर्यात	128.30	125.05	117.37
वाडीनार में कुल	540.90	566.33	528.33
बीओटी में आयात	101.56	66.36	48.59
बीओटी में निर्यात	5.75	9.87	3.73
बीओटी में कुल	107.31	76.23	52.32
यानान्तरण	1.83	3.92	2.99
सकल योग	1060.00	1054.42	1000.51

3 वित्तीय परिणाम :

वर्ष 2016-17 के दौरान पोर्ट के वित्तीय निष्पादन का सार निम्नवत् है :-

(रू. लाख में)

विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2015-16
परिचालन आय	126933.47	138314.79	98213.79
परिचालन व्यय	69381.08	65878.50	62158.09
परिचालन अधिशेष	57552.40	72436.28	36055.70
गैर परिचालन आय	21431.48	18869.60	20726.18
गैर परिचालन व्यय	17540.71	21920.17	14569.55
कर से पूर्व लाभ	61443.16	69385.71	42212.33
आयकर कर तथा आस्थगित कर हेतु प्रावधान	23270.86	0.00	0.00
कर के पश्चात् लाभ /हानि.	38172.30	69385.71	42212.33

3.1 परिचालन आय में गत वर्ष से 40100.99 लाख (40.83%) की वृद्धि हुई है। ऐसा मुख्यतः निम्नलिखित के कारण हुआ :-

>> यातायात में 5.39% तक वृद्धि होने के कारण नौभार प्रहस्तन आय में रु. 13051.41 लाख की और उपरिमुखी परिशोधन में 7709.80 लाख की वृद्धि हुई और मेसर्स अदानी बल्क (1259.46 लाख), मेसर्स एस्सार (3627.36 लाख) तथा मेसर्स आईआरई (390.84 लाख) से रॉयल्टी आय में वृद्धि हुई।

>> Increase of Rs. 13059.71 lakhs in Port and Dock charges due to increase in GRT by 47.96 lakhs tonnes and upward revision.

>> Increase of Rs. 13823.31 lakhs in Estate Rentals on account of new allotment of Liquid Storage Tanks/Godowns (5050 lakhs), Income from Salt Land due to P. P. Act Proceeding (2900 lakhs), M/s. Adani Bulk Terminal (2742 lakhs) & other BOT operators at Kandla and Vadinar (2352 lakhs) due to upward revision of SOR.

3.2 There is an increase in operating expenditure by Rs. 3720.41 lakhs (5.99%) as compared to the previous year due to more expenditure in Operation & Maintenance of Cranes, Building, Electrical Installations, etc. (1522.38), Stores (193.90 lakhs), Office & Administration (Rs.165.05 lakhs), Dredging (Rs. 772.90 lakhs), Security (Rs. 559.07 lakhs). Medical (Rs. 284.23 lakhs) and Depreciation (Rs. 834.28 lakhs), which is offset by decrease in Salary & Wages (669.82 lakhs) mainly due to control in overtime.

The break up of the operating expenditure is as follows: -

(Rs. In lakhs)

Particulars	RE 2016-17	Actual 2016-17	Actual 2015-16
Salary and wages	24021.53	23641.37	24311.19
Stores	2260.72	1007.31	813.43
Office & administration expenses	1969.84	1730.93	1565.88
Dredging	13000.00	13334.25	12561.35
Operation & maintenance expenses	15686.06	13866.45	12344.07
CISF & other security	2909.11	2874.84	2315.77
Medical	1711.02	1688.82	1404.59
Depreciation	7570.86	7368.95	6534.67
Other expenditure	251.94	365.57	307.13
Total	69381.07	65878.50	62158.09

3.3 The major sources of non operating income are:

(Rs. in lakhs)

Particulars	RE 2016-17	Actual 2016-17	Actual 2015-16
Interest on investment	17000.00	14898.49	12792.92
Interest on advance to staff	241.50	176.40	234.87
Dividend	500.00	286.00	130.00
Interest on income tax refund	0.00	832.62	169.13
Prior Period Income	3000.00	1125.15	3218.39
Other receipts and penalties	689.98	1550.95	4180.87
Total	21431.48	18869.60	20726.18

The F&M income has reduced by Rs. 1856.58 lakhs as compared to the previous year, as less income received towards prior period by Rs. 2093.24 lakhs and other receipts (last year penalty recovered from DCI of Rs. 3043.66 lakhs) by RS. 2640.11 lakhs, which has been offset by increase in interest on investment by Rs. 1975.57 lakhs, dividend by Rs. 156 lakhs and interest on refund from Income Tax by RS. 593.48 lakhs.

>> जीआरटी तथा उपरिमुखी परिशोधन में 47.96लाख टन की वृद्धि होने के कारण पोर्ट तथा गोदी प्रभारों में रू.13059.71 लाख की वृद्धि हुई।

>> तरल भंडारण टेंकों /गोदामों (5050 लाख)के नए आंबटन के कारण संपदा किराये में रू. 13823.31 लाख की वृद्धि, पी.पी. एक्ट कार्यवाही (2900 लाख) के कारण नमक भूमि से आय , एसओआर के उपरिमुखी परिशोधन के कारण मेसर्स अदाणी बल्क टर्मिनल (2742लाख) तथा कंडला एवं वाड़ीनार (2352लाख) के अन्य बीओटी परिचालकों से आय।

3.2 क्रेनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण , भवन, विद्युतीय अधिष्ठापन आदि (1522.38), भंडार (193.90 लाख), कार्यालय एवं प्रशासन (165.05 लाख), ड्रेजिंग (रू.772.90 लाख), सुरक्षा (रू. 559.07 लाख), चिकित्सा (रू. 284.23 लाख) तथा मूल्यह्रास (रू. 834.28 लाख) पर हुए अधिक व्यय के कारण गत वर्ष की तुलना में परिचालन व्यय में रू. 3720.41लाख (5.99%) की वृद्धि हुई जिसे मुख्यतः समयोपरि में नियंत्रण के कारण वेतन तथा मजदूरी (669.82 लाख) में कमी करके प्रतिसंतुलित किया गया।

परिचालन व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है :-

(रू. लाख में)

विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2015-16
वेतन तथा मजदूरी	24021.53	23641.37	24311.19
भंडार	2260.72	1007.31	813.43
कार्यालय और प्रशासन व्यय	1969.84	1730.93	1565.88
निकर्षण	13000.00	13334.25	12561.35
प्रचालन और अनुरक्षण व्यय	15686.06	13866.45	12344.07
सीआईएसएफ तथा अन्य सुरक्षा	2909.11	2874.84	2315.77
चिकित्सा	1711.02	1688.82	1404.59
मूल्यह्रास	7570.86	7368.95	6534.67
अन्य व्यय	251.94	365.57	307.13
कुल	**69381.07**	**65878.50**	**62158.09**

3.3 गैर परिचालन आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है :

(रू. लाख में)

विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2015-16
निवेश पर ब्याज	17000.00	14898.49	12792.92
स्टाफ के अग्रिम पर ब्याज	241.50	176.40	234.87
लाभांश	500.00	286.00	130.00
आयकर प्रतिदाय पर ब्याज	0.00	832.62	169.13
पूर्व-अवधि आय	3000.00	1125.15	3218.39
अन्य प्राप्तियां तथा शास्तियां	689.98	1550.95	4180.87
कुल	21431.48	18869.60	20726.18

गत वर्ष की तुलना में एफएंडएम आय में रू. 1856.58 लाख की कमी हुई क्योंकि पूर्व अवधि के मद्दे रू.2093.24 लाख की तथा अन्य प्राप्तियों (गत वर्ष डीसीआई से वसूल किया गया रू.3043.66 लाख का अर्थदंड) में रू. 2640.11 लाख तक की कम आय प्राप्त हुई जिसे निवेश पर ब्याज में रू. 1975.57 लाख तक, लाभांश में रू. 156 लाख तक तथा आयकर से वापसी पर ब्याज में रू. 593.48 लाख तक वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

3.4 The finance & miscellaneous expenditure comprises the following major items.

(Rs. in lakhs)

Particulars	RE 2016-17	Actual 2016-17	Actual 2015-16
Contribution to Pension	12000.00	16980.02	9230.51
Contribution to gratuity	1500.00	1200.00	1200.00
Grant-in-aid	50.00	0.00	0.00
Welfare expenditure	500.00	269.91	271.08
Contribution to CSR	789.00	260.00	150.00
Contribution to Leave Encashment	2000.00	809.55	3073.91
Other expenditure	701.71	2400.68	644.05
Total	17540.71	21920.17	14569.55

The profit before tax for the current year, thus, stands at Rs. 69385.71 lakhs as against Rs. 42212.33 lakhs of previous year.

3.5 No provision for income tax comes around Rs. 20465.58 lakhs and deferred tax liability provided during 2016-17 on account of claiming the exemption under section 11 to 13 of Income Tax Act, as per the opinion of Tax Planner. Hence, there is net profit of Rs. 69385.71 lakhs during current year.

3.6 The amount available for appropriation as works out to Rs. 69385.71 lakhs, which has been appropriated to the following reserves and funds as under :-

(Rs. in lakhs)

1	Capital asset replacement reserves	4144.26
2	Two 3% MPC reserves	11600.58
3	General reserve	53640.87
	Total	69385.71

4 <u>Financial Position :</u>

The financial position of the Port Trust is tabulated below:-

(Rs. in lakhs)

A.	LIABILITIES	Actual 2016-17	Actual 2015-16
a)	Capital Reserve	218782.62	207014.16
b)	Revenue Reserve	257336.67	196715.53
d)	Capital debt	9514.80	1611.62
e)	Current Liability & Provisions	179488.87	157842.15
	Total Liability	665122.97	563183.47
B.	ASSETS		
a)	Fixed asset less depreciation	119316.84	101390.92
b)	Capital work in progress	32950.64	45960.96
c)	Investment	196363.66	16117.66
d)	Current asset	316491.83	399713.93
	Total Asset	665122.97	563183.47
C.	Working capital	137002.96	241871.78
D.	Capital employed	256319.80	343262.70
E.	Net Worth	476119.29	403729.69
F.	ROR on Capital employed	27.07%	12.30%
G.	Operating ratio	47.63%	63.29%

3.4 वित्त तथा विविध व्यय में निम्नलिखित प्रमुख मदें समाविष्ट हैं :-

(रू. लाख में)

विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2015-16
पेंशन में अंशदान	12000.00	16980.02	9230.51
उपदान में अंशदान	1500.00	1200.00	1200.00
सहायता अनुदान	50.00	0.00	0.00
कल्याणकारी व्यय	500.00	269.91	271.08
सीएस आर में अंशदान	789.00	260.00	150.00
अवकाश नकदीकरण में अंशदान	2000.00	809.55	3073.91
अन्य व्यय	701.71	2400.68	644.05
कु ल	17540.71	21920.17	14569.55

इस प्रकार चालू वर्ष में कर पूर्व लाभ गत वर्ष के रु.42212.33लाख की तुलना में रु. 69385.71 लाख रहा।

3.5 कर योजनाकारों के मतानुसार आयकर अधिनियम की धारा 11 से 13 के अधीन प्रस्तुत दावे के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान रू.20465.58 लाख के आयकर तथा आस्थगित कर देयता का कोई प्रावधान नहीं किया गया। अतः चालू वर्ष के दौरान रू. 69385.71लाख का शुद्ध लाभ हुआ है।

3.6 अतः विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि रु. 69385.71 लाख तक परिकलित की गई है जिसे निम्नलिखित आरक्षितियों तथा निधियों में निम्नवत् विनियोजित किया गया है :-

(रू. लाख में)

1	पूंजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षितियाँ	4144.26
2	दो 3% एम पी सी आरक्षितियाँ	11600.58
3	सामान्य आरक्षित	53640.87
	कुल	69385.71

4 <u>वित्तीय स्थिति :</u>

निम्नलिखित सारणी पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति दर्शाती है :-

(रू. लाखों में)

क.	देयताएं	वास्तविक आँकड़े 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2015-16
क)	पूंजीगत आरक्षित	218782.62	207014.16
ख)	राजस्व आरक्षित	257336.67	196715.53
ग)	पूंजीगत ऋण	9514.80	1611.62
घ)	चालू देयता तथा प्रावधान	179488.87	157842.15
	कुल देयता	665122.97	563183.47
ख.	परिसंपत्तियाँ		
क)	स्थायी परिसंपत्ति मूल्यहास घटाकर	119316.84	101390.92
ख)	चालू पूंजीगत कार्य	32950.64	45960.96
ग)	निवेश	196363.66	16117.66
घ)	चालू परिसंपत्ति	316491.83	399713.93
	कुल परिसंपत्ति	665122.97	563183.47
ग.	कार्यशील पूंजी	137002.96	241871.78
घ.	नियोजित पूंजी	256319.80	343262.70
ङ.	शुद्ध मूल्य	476119.29	403729.69
च.	नियोजित पूंजी पर आर ओ आर	27.07%	12.30%
छ.	परिचालन अनुपात	47.63%	63.29%

5 Capital Expenditure:

The capital expenditure incurred on plan and non-plan work is shown below: -

(Rs. in lakhs)

Particulars	RE 2016-17	Actual 2016-17	Actual 2015-16
Plan	13018.00	10667.15	9931.00
Non-Plan	3439.54	2631.43	1837.46
Total	16457.54	13298.58	11768.46

The total amount of plan and non-plan capital expenditure has been funded out from the internal resources of the Port.

The Work-in progress, amounting to Rs. 26308.90 lakhs, has been capitalized during the year.

6 Capital debt

The initial capital debt of 1611.62 lakhs prior to formation of the Port Trust Board is still exhibited in the financial statement, as no decision for its repayment is finalised by the Ministry. In addition to this, there is one secured loan obtained from Banks of Rs. 7903.18 lakhs, which is repaid in April, 2017.

7 Welfare Expenses :-

An amount of Rs. 269.91 lakhs has been spent towards the staff welfare expenses during the current year as against of Rs. 271.08 lakhs spent in the year 2015-16.

The Board is requested to approve the Annual Accounts of Kandla Port Trust for the year 2016-17 for submission to the Principal Director of, Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board –I, Mumbai for statutory audit.

5 पूंजीगत व्यय :

योजनाबद्ध तथा गैरयोजनाबद्ध कार्य पर हुआ पूंजीगत व्यय नीचे दर्शाया गया है: -

(रू. लाखों में)

विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2016-17	वास्तविक आँकड़े 2015-16
योजनाबद्ध	13018.00	10667.15	9931.00
गैर योजनाबद्ध	3439.54	2631.43	1837.46
कुल	16457.54	13298.58	11768.46

योजनाबद्ध तथा गैर योजनाबद्ध पूंजीगत व्यय की कुल धनराशि पोर्ट के आन्तरिक संसाधनों से पूरी की गई है।

वर्ष के दौरान रू. 26308.90 लाख की राशि चालू कार्य में उपयोग की गई।

6 पूंजीगत ऋण

पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड की स्थापना के पूर्व रु. 1611.62 लाख का प्रारंभिक पूंजीगत ऋण अभी तक वित्तीय विवरण में दर्शाया जाता है क्योंकि मंत्रालय द्वारा इसकी वापसी के निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त बैंको से रू.7903.18 लाख का एक सुरक्षित ऋण लिया गया जिसकी पुनर्अदायगी अप्रैल,2017 में की गई।

7 कल्याण व्यय :

कर्मचारी कल्याण व्यय के मद्दे वर्ष 2015-16 मे व्यय किए गए रु.271.08 लाख की तुलना में वर्तमान वर्ष में रु. 269.91 लाख की राशि खर्च की गई।

बोर्ड से अनुरोध है कि प्रधान निदेशक,वाणिज्यिक लेखा परीक्षा सह पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I मुंबई को सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु कंडला पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे को अनुमोदन प्रदान करें।

KANDLA PORT TRUST
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

(Rs. In lakhs)

	Sch. No.	As at 31st March, 2017			As at 31st March, 2016		
SOURCES OF FUNDS							
RESERVES AND SURPLUS	1						
Capital reserve			218782.62			207014.16	
Revenue reserves			211141.18			157500.31	
Statutory reserves			26229.00			20669.35	
Infrastructure reserve			19966.49	476119.29		18545.88	403729.69
LOAN FUNDS	2						
Loans				9514.80			1611.62
TOTAL				485634.10			405341.32
APPLICATION OF FUNDS							
FIXED CAPITAL ASSETS	3						
Gross block		192678.56			166369.66		
Less Depreciation provision		73361.72	119316.84		64978.74	101390.92	
Add: Capital work in progress			32950.64	152267.48		45960.96	147351.88
INVESTMENTS	4						
General Fund investment				196363.66			16117.66
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	5						
Current assets							
i) Accrued interest							
on Provident fund investment		2072.36			2205.92		
on General fund investment		13031.76	15104.12		12990.78	15196.70	
ii) Inventories			173.72			165.10	
iii) Sundry debtors							
-More than six month							
a) Government		22998.61			17623.15		
b) Non-Government		530.14			453.71		
-Less than six month		19891.64			17169.44		
a) Government		9762.04	32760.65		5379.08	23002.23	
b) Non-Government		144.87			73.31		
iv) Cash and bank balances		9617.17			5305.77		
v) Provident fund investments			70657.88			191441.62	
			31484.00			29734.00	
LOANS, ADVANCES & DEBIT BALANCES	6		150180.37			259539.66	
iv) Advances & debit balance		93610.87			89511.13		
vi) Deposits		1776.71			1765.70		
vii) Advance tax, Demand & TDS		70923.88	166311.46		48897.44	140174.27	
			316491.83			399713.93	
LESS:CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	7		179488.87			157842.15	
NET CURRENT ASSETS				137002.96			241871.78
TOTAL				485634.10			405341.32

CHAIRMAN
KANDLA PORT TRUST

FA & CAO
KANDLA PORT TRUST

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

दिनांक 31 मार्च, 2017 को तुलनपत्र

(रू. लाख में)

	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च, 2017 को			दिनांक 31 मार्च, 2016 को		
निधि के स्रोत							
आरक्षित तथा अधिशेष	1						
पूंजीगत आरक्षित			218782.62			207014.16	
राजस्व प्रारक्षिति			211141.18			157500.31	
सांविधिक आरक्षित			26229.00			20669.35	
अवसंरचनात्मक आरक्षित			19966.49	476119.29		18545.88	403729.69
ऋण निधियाँ	2						
ऋण				9514.80			1611.62
कुल				485634.10			405341.32
निधियों का प्रयोग							
स्थायी पूंजीगत परिसंपत्तियां	3						
सकल ब्लॉक		192678.56			166369.66		
घटायें : मूल्यह्रास प्रावधान		73361.72	119316.84		64978.74	101390.92	
जोड़ें : चालू पूंजीगत कार्य			32950.64	152267.48		45960.96	147351.88
निवेश	4						
सामान्य निधि निवेश				196363.66			16117.66
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम चालू परिसंपत्तियां	5						
i) प्रोदभूत ब्याज							
- भविष्य निधि निवेश पर		2072.36			2205.92		
-सामान्य निधि निवेश पर		13031.76	15104.12		12990.78	15196.70	
ii) संपत्ति-सूची			173.72			165.10	
iii) विविध देनदार							
-छः माह से अधिक		22998.61			17623.15		
क.) सरकारी		530.14			453.71		
ख) गैर सरकारी		19891.64			17169.44		
-छः माह से कम		9762.04	32760.65		5379.08	23002.23	
क.) सरकारी		144.87			73.31		
ख) गैर सरकारी		9617.17			5305.77		
iv) रोकड़ तथा बैंक में शेष राशि			70657.88			191441.62	
v) भविष्य निधि निवेश			31484.00			29734.00	
			150180.37			259539.66	
ऋण, अग्रिम तथा शेष ऋण	6						
iv) अग्रिम तथा शेष ऋण		93610.87			89511.13		
vi) जमा राशि		1776.71			1765.70		
vii) अग्रिम कर, मांग तथा श्रोत पर आय की कटौती		70923.88	166311.46		48897.44	140174.27	
			316491.83			399713.93	
घटायें: चालू देयताएं तथा प्रावधान	7		179488.87			157842.15	
शुद्ध चालू देयताएं				137002.96			241871.78
कुल				485634.10			405341.32

अध्यक्ष
कंडला पोर्ट ट्रस्ट

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
कंडला पोर्ट ट्रस्ट

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE TO BALANCE SHEET

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

SCHEDULE 1 - RESERVES & SURPLUS

(Rs. In lakhs)

Reserves & Surplus	Capital Reserve	Capital Grant for Combating Oil Pollution	Capital Assets Replacement Reserve	Infra-structure Reserve	General Reserve	Employees Welfare Fund	3% Reserve for Replacement Rehabilitation & Modernisation	3% Reserve for Development Repayment of Loans & Contingencies
Balance as on 1st April, 2016	206639.16	375.00	2000.00	18545.88	155499.81	0.50	8670.23	11999.12
Add/Less: Transfer from Revenue Account		0.00	4144.26		53640.87		5800.29	5800.29
Transfer from other Funds & Reserves	11768.46					291.72		
Repayment of Loans from Government								
Receipts	0.00			1420.61			664.14	919.13
Capital Receipts	0.00							
Total	218407.62	375.00	6144.26	19966.49	209140.68	292.22	15134.66	18718.54
Less: Transfer to other Reserves & Funds								
Capital Reserve			4144.26				6224.79	1399.41
Other transfers						291.72		
Total			4144.26	0.00	0.00	291.72	6224.79	1399.41
Balance as on 31st March, 2017	**218407.62**	**375.00**	**2000.00**	**19966.49**	**209140.68**	**0.50**	**8909.87**	**17319.13**

SCHEDULE 2 - LOAN FUNDS

(Rs. in lakhs)

Particulars	As on 31.3.2017	As on 31.3.2016
Capital Debts from Govt. of India prior to incorporation	1611.62	1611.62
Secured Loan against the pledge of F.D.R.	7903.18	0.00
Total	9514.80	1611.62

NOTE:

The Port Trust was formulated under MPT Act, 1963 on 29.2.1964. Under the provisions of the MPT Act an amount of Rs.161162478 was determined as initial capital debt which is exhibited in the balance sheet as capital debt pending final fixation and mode of repayment. An amount of Rs.15 lakhs is being made to Government annually as interest and charged to revenue account till a decision is taken by the Ministry.

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2016-17

अनुसूची 1 - आरक्षित तथा अधिशेष

(रूपये लाख में)

आरक्षित तथा अधिशेष	पूंजीगत आरक्षित	तेल प्रदूषण से निपटने हेतु पूंजीगत अनुदान	पूंजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित	अवसंरचनात्मक आरक्षित	सामान्य आरक्षित	कर्मचारी कल्याण निधि	प्रतिस्थापन, पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण हेतु 3% आरक्षित	विकास, ऋणों की वापसी तथा आकस्मिकताओं हेतु 3% आरक्षित
1 अप्रैल, 2016 को शेष	206639.16	375.00	2000.00	18545.88	155499.81	0.50	8670.23	11999.12
जोड़ें /घटाएं : राजस्व लेखे से अन्तरण		0.00	4144.26		53640.87		5800.29	5800.29
अन्य निधियों तथा आरक्षित से अन्तरण	11768.46					291.72		
सरकार के ऋणों की वापसी								
प्राप्तियाँ	0.00			1420.61			664.14	919.13
पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.00							
कुल	218407.62	375.00	6144.26	19966.49	209140.68	292.22	15134.66	18718.54
घटायें :								
अन्य आरक्षित तथा निधियों में अन्तरण								
पूंजीगत आरक्षित			4144.26				6224.79	1399.41
अन्य अंतरण						291.72		
कुल			4144.26	0.00	0.00	291.72	6224.79	1399.41
दिनांक 31 मार्च, 2017 को शेष	218407.62	375.00	2000.00	19966.49	209140.68	0.50	8909.87	17319.13

अनुसूची 2 - ऋण निधियां

(रू.लाख में)

विवरण	दिनांक 31.3.2017 को	दिनांक 31.3.2016 को
समावेशन से पूर्व भारत सरकार से पूंजीगत ऋण	1611.62	1611.62
एफडीआर के जामिन के समक्ष सुरक्षित ऋण	7903.18	0.00
कुल	9514.80	1611.62

टिप्पणी :

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अधीन दिनांक 29.2.1964 को पोर्ट ट्रस्ट गठित किया गया था। महापतन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रारंभिक पूंजीगत ऋण के रूप से रु161162478की राशि निश्चित की गई थी जिसे अंतिम नियतन एवं वापसी के तरीके के लंबित रहने के कारण पूंजीगत ऋण के रूप में तुलनपत्र में दर्शाया गया। मंत्रालय द्वारा निर्णय लिए जाने तक ब्याज के रूप में रु15 लाख की राशि सरकार को प्रतिवर्ष दी जा रही है और राजस्व लेखे में प्रभारित की जा रही है।

SCHEDULE TO BALANCE SHEET

KANDLA PORT TRUST

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

SCHEDULE 3 - FIXED CAPITAL ASSETS

(Rs. In lakhs)

Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	As on 1st April 2016	Additions	Deletions	As on 31st March. 2017	As on 1st April 2016	Additions	Deletions	As on 31st March, 2017	As on 1st April 2016	As on 31st March. 2017
Land	3238.58	-0.03	0.00	3238.55					3238.58	3238.55
Capital Dredging	38277.79	1901.76	0.00	40179.56	15170.01	2031.51	0.00	17201.53	23107.78	22978.03
Buildings, Sheds and Other Structures	21158.11	802.53	0.00	21960.64	6003.56	746.98	0.00	6750.54	15154.56	15210.11
Wharves, Roads & Boundaries	38258.24	1642.30	0.00	39900.53	12368.83	1393.25	0.00	13762.09	25889.40	26138.44
Floating Crafts	12376.98	4651.00	0.00	17027.98	8361.44	627.11	0.00	8988.55	4015.53	8039.42
Railway & Rolling Stock	3774.08	9446.63	0.00	13220.71	1233.02	1003.64	0.00	2236.66	2541.06	10984.05
Docks, Sea Walls, Piers Navigational Aids	24260.01	819.39	0.00	25079.40	8226.05	574.86	0.00	8800.91	16033.95	16278.49
Cranes & Vehicles	11348.55	189.03	0.00	11537.58	5911.74	741.90	0.00	6653.64	5436.81	4883.95
Plant & Machinery	725.82	6472.95	0.00	7198.77	429.83	680.36	0.00	1110.19	295.99	6088.58
Installations of Water, Electricity, Telecom, Fire Fighting	12034.21	383.34	0.00	12417.55	6501.75	558.26	0.00	7060.01	5532.46	5357.53
Oil Pipeline	917.29	0.00	0.00	917.29	772.50	25.10	0.00	797.60	144.79	119.69
Gross Block	166369.66	26308.90	0.00	192678.56	64978.74	8382.98	0.00	73361.72	101390.92	119316.84
Capital Works in Progress	45960.96	13298.58	26308.90	32950.64					45960.96	32950.64

Note: 1) The value of the assets is shown at original cost.

2) The total depreciation of Rs.8382.98 lakhs addition during the year includes arrear depreciation of Rs.1014.03 lakhs , which is charged to prior period expense.

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2016-17

अनुसूची -3 स्थायी परिसंपत्तियाँ

(रू. लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	दिनांक 1 अप्रैल 2016 को	अनुवृद्धि	विलोपन	दिनांक 31 मार्च, 2017 को	दिनांक 1 अप्रैल 2016 को	अनुवृद्धि	विलोपन	दिनांक 31 मार्च, 2017 को	दिनांक 1 अप्रैल 2016 को	दिनांक 31 मार्च, 2017 को
भूमि	3238.58	-0.03	0.00	3238.55					3238.58	3238.55
पूंजीगत निकर्षण.	38277.79	1901.76	0.00	40179.56	15170.01	2031.51	0.00	17201.53	23107.78	22978.03
भवन, शेड तथा अन्य अवसंरचना	21158.11	802.53	0.00	21960.64	6003.56	746.98	0.00	6750.54	15154.56	15210.11
भरणघाट,सड़क तथा चार दीवारियाँ	38258.24	1642.30	0.00	39900.53	12368.83	1393.25	0.00	13762.09	25889.40	26138.44
प्लावी जलयान	12376.98	4651.00	0.00	17027.98	8361.44	627.11	0.00	8988.55	4015.53	8039.42
रेलवे एवं रोलिंग स्टॉक	3774.08	9446.63	0.00	13220.71	1233.02	1003.64	0.00	2236.66	2541.06	10984.05
गोदी,समुद्र भित्ति,प्रस्तंभ नौचालन सहायक युक्तियाँ	24260.01	819.39	0.00	25079.40	8226.05	574.86	0.00	8800.91	16033.95	16278.49
क्रेन तथा वाहन	11348.55	189.03	0.00	11537.58	5911.74	741.90	0.00	6653.64	5436.81	4883.95
संयंत्र और मशीनरी	725.82	6472.95	0.00	7198.77	429.83	680.36	0.00	1110.19	295.99	6088.58
जल,विद्युत, दूरसंचार, अग्निशमन का संस्थापन	12034.21	383.34	0.00	12417.55	6501.75	558.26	0.00	7060.01	5532.46	5357.53
तेल पाइप लाइन	917.29	0.00	0.00	917.29	772.50	25.10	0.00	797.60	144.79	119.69
सकल ब्लॉक	166369.66	26308.90	0.00	192678.56	64978.74	8382.98	0.00	73361.72	101390.92	119316.84
चालू पूंजीगत कार्य	45960.96	13298.58	26308.90	32950.64					45960.96	32950.64

टिप्पणी: 1) परिसंपत्तियों का मूल्य मूल लागत में दर्शाया गया है।

2) वर्ष के दौरान रू. 8382.98लाख के कुल मूल्यह्रास में रू. 1014.03 लाख का बकाया मूल्यह्रास समाविष्ट है जिसे पूर्व अवधि व्यय में प्रभारित किया गया है।

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE TO BALANCE SHEET

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

SCHEDULE 4 - INVESTMENTS

(Rs. In lakhs)

Type of Investment	Capital Assets Replacement Reserve	Statutory Reserves	Infrastructure Reserve	General Reserve	Total as on 31/3/2017	Investments as on 1/4/2016
Long Term Investments						
Term Deposits with Banks				186052.00	186052.00	4356.00
Equity Participation with M/s. India Ports Rail Corporation Ltd.				720.00	720.00	720.00
Equity Participation with M/s. KRCL				5200.00	5200.00	5200.00
Equity Participation with Petronet				500.00	500.00	500.00
Joint Venture with India Ports Gloabal Pvt. Ltd.	--			400.00	400.00	200.00
Bonds in other PSUs/Long term deposits	2000.00			1491.66	3491.66	5141.66
Total Investments	2000.00	0.00	0.00	194363.66	196363.66	16117.66

NOTE:

1) Investments are shown at original cost.
2) Current investments are investments made for a year or less.
3) Long term investment are investment made for a period of more than one year.
4) Equity participation with KRCL, Petronet V.K. Ltd. , SRC Ltd., IPRCL & IPGPL are un-quoted investments.
5) Previous year figures have been re-grouped and re-classified, where ever necessary.
6) All investments are non-trade investments.
7) Equity investment of Rs. 500 lakhs made with Petronet V. K. Ltd. being eroded due to negative net worth of Petronet V. K. Ltd. and the company has become sick. The provision for diminution in the value of Rs. 500 lakhs in investments has been made as approved by Board vide Resolution No. 152 of 12/2/2016.
8) The above investments includes two shares of M/s. SRC Ltd., not listed of Rs. 2000/-

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2016-17

अनुसूची 4 - निवेश

(रू. लाख में)

निवेश का प्रकार	पूंजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित	सांविधिक आरक्षित	अवसंरचना आरक्षित	सामान्य आरक्षित	31/3/2017 को कुल	दिनांक 1/4/2016 को निवेश
दीर्घावधि निवेश						
बैंक में सावधि जमा				186052.00	186052.00	4356.00
मेंसर्स इंडिया पोर्ट्स रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में साम्य भागीदारी				720.00	720.00	720.00
मैसर्स केआरसीएल में साम्य भागीदारी				5200.00	5200.00	5200.00
पेट्रोनेट में साम्य भागीदारी				500.00	500.00	500.00
इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्रा. लि.के साथ संयुक्त उद्दाम				400.00	400.00	200.00
अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में बंधपत्र /दीर्घावधि जमा राशि	2000.00			1491.66	3491.66	5141.66
कुल निवेश	**2000.00**	**0.00**	**0.00**	**194363.66**	**196363.66**	**16117.66**

टिप्पणी : (1) निवेश मूल लागत में दर्शाए गए हैं।

(2) चालू निवेश ऐसे निवेश है जो एक वर्ष अथवा कम अवधि के लिए किए गए हैं।

(3) दीर्घावधि निवेश एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए किए गए निवेश हैं।

(4) केआरसीएल, पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड, एसआरसी लिमिटेड, आईपीआरसीएल एवं आईपीजीपीएल में साम्य भागीदारी अनुत्कथित निवेश हैं।

(5) जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां गत वर्ष के आँकड़ों को पुन:समूहीकृत और पुन:वर्गीकृत किया गया है।

(6) सभी निवेश गैर-व्यापारिक निवेश हैं।

(7) पेट्रोनेट वी के लिमिटेड का शुद्ध मूल्य नकारात्मक होने के कारण एवं कंपनी के बीमार हो जाने के कारण पेट्रोनेट वी के लिमिटेड के साथ किए गए रू. 500 लाख के साम्य निवेश को समाप्त किया जा रहा है। निवेशों में रू.500 लाख के मूल्य में हुई कमी के लिए बोर्ड के संकल्प सं.152 दिनांक 12.2.2016 द्वारा यथाअनुमोदित प्रावधान किया गया है।

(8) उक्त निवेशो में मैसर्स एसआरसी लि. के दो शेयर शामिल है जिसे रू.2000 के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE TO BALANCE SHEET

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

SCHEDULE 5 - CURRENT ASSETS

A. Current Assets

(Rs. In lakhs)

Particulars	As on 31.3-2017	As on 31.3-2016
Accrued Interest:		
Accrued interest on General Fund Investments	13031.76	12990.78
Accrued interest on Provident Fund Investments	2072.36	2205.92
Total	**15104.12**	**15196.70**
Sundry Debtors:		
Sundry Debtors - Traffic Department	4406.88	2221.18
Sundry Debtors - Marine Department	511.68	1187.63
Sundry Debtors - Engineering Department	12677.41	6109.27
Sundry Debtors - Township Department	12684.47	10929.06
Sundry Debtors - Civil Engineering Department	26.20	65.03
Sundry Debtors - Miscellaneous	2454.01	2490.06
Total	**32760.65**	**23002.23**
Cash & Bank Balances:		
Balances with Banks:		
Punjab National Bank, Gandhidham(DB-10,19,28 & 33)	306.31	526.13
Punjab National Bank, Kandla (Current A/c.) (DB-12)	421.88	571.81
Punjab National Bank, Kandla (Saving A/c.) (DB-13)	300.78	22.53
State Bank of India, Gandhidham (DB-2,9,14,17, 24,30 & 35)	1407.41	412.80
Indian Overseas Bank, Gandhidham (DB-3)	5.51	74.73
HDFC Bank (DB-4,16 & 21)	96.36	73.36
AXIS Bank (DB-5,6 & 20)	149.08	290.48
State Bank of India, IOB & BOI, Vadinar	608.80	464.62
Dena Bank (DB-7)	0.89	0.86
State Bank of India (PF) (DB-15)	6.82	419.56
IDBI, Gandhidham (DB-22)	111.80	109.99
ICICI Bank(DB-8)	51.17	0.00
Allahabad Bank (DB-31)	599.76	576.35
Bank of Baroda (DB-32, 34 & 36)	102.98	32.79
Cheque in Transit (cleared on 3/4/2017)	800.00	0.00
Total	**4969.56**	**3576.03**
Short Term Investment with Bank		
-Statutory Reserve	26229.00	20669.35
-Infrastructure Reserve	19966.49	18545.88
-General Reserve	19488.01	148645.78
Total	**65683.51**	**187861.01**
Cash on hand & in transit		
Cash Section, Gandidham	0.70	1.21
Imprest Account with Officers	4.11	3.37
Total	**4.81**	**4.58**
Provident Fund / NPS Investments		
Investment of Provident Fund	31484.00	29734.00
Total	**31484.00**	**29734.00**

Inventories:

Particulars	Main Store	Marine Store	Workshop Store	Total
Opening balance as on 1.4.2016	150.25	6.83	8.02	165.10
Add : Purchases during the year	56.93	276.99	0.59	334.52
Less : Issues during the year	64.72	258.42	2.77	325.90
Closing balance as on 31.3.2017	142.47	25.40	5.85	173.72
Total Current Assets			**150180.37**	**259539.66**

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

तुलनपत्र की अनुसूची — वार्षिक लेखा 2016-17

अनुसूची 5 - चालू परिसंपत्तियाँ

क. चालू परिसंपत्तियाँ — (रू. लाख में)

विवरण	दिनांक 31.3-2017 को	दिनांक 31.3-2016 को
प्रोद्भूत ब्याज		
सामान्य निधि निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज	13031.76	12990.78
भविष्य निधि निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज	2072.36	2205.92
कुल	15104.12	15196.70
विविध देनदार :		
विविध देनदार - यातायात विभाग	4406.88	2221.18
विविध देनदार - समुद्री विभाग	511.68	1187.63
विविध देनदार - औद्योगिक विभाग	12677.41	6109.27
विविध देनदार - टाउनशिप विभाग	12684.47	10929.06
विविध देनदार - सिविल औद्योगिक विभाग	26.20	65.03
विविध देनदार - विविध	2454.01	2490.06
कुल	32760.65	23002.23
रोकड़ तथा बैंक में शेष :		
बैंकों में जमा शेष :		
पंजाब नेशनल बैंक, गांधीधाम (डीबी-10,19 28 तथा 33)	306.31	526.13
पंजाब नेशनल बैंक,कंडला.(चालू खाता) (डीबी-12)	421.88	571.81
पंजाब नेशनल बैंक, कंडला.(बचत खाता)(डीबी-13)	300.78	22.53
भारतीय स्टेट बैंक., गांधीधाम.(डीबी-2,9,14,17,24, 30 एवं 35)	1407.41	412.80
इंन्डियन ओवरसीज बैंक,गांधीधाम.(डीबी-3)	5.51	74.73
एचडीएफसी बैंक (डीबी-4,16 तथा 21)	96.36	73.36
ऐक्सिस बैंक (डीबी-5,6 तथा 20)	149.08	290.48
एसबीआइ,आइओबी तथा बीओआइ,वाड़ीनार	608.80	464.62
देना बैंक , गांधीधाम.(डीबी-7)	0.89	0.86
भारतीय स्टेट बैंक,(भविष्य निधि)(डीबी-15)	6.82	419.56
आइडीबीआइ,गांधीधाम.(डीबी-22)	111.80	109.99
आइसीआइसीआइ (डीबी-8)	51.17	0.00
इलाहाबाद बैंक (डीबी-31)	599.76	576.35
बैंक ऑफ बड़ौदा (डीबी -32, 34 एवं 36)	102.98	32.79
चेक (दिनांक 3/4/2017 को) समाशोधित	800.00	0.00
कुल	4969.56	3576.03
बैंक से अल्पकालिक निवेश		
-सांविधिक आरक्षित	26229.00	20669.35
-अवसंरचना आरक्षित	19966.49	18545.88
-सामान्य आरक्षित	19488.01	148645.78
कुल	65683.51	187861.01
हाथ में रोकड़ एवं समाशोध्य		
रोकड़ अनुभाग, गांधीधाम	0.70	1.21
अधिकारियों के पास अग्रदाय लेखा	4.11	3.37
कुल	4.81	4.58
भविष्य निधि /एनपीएस निवेश		
भविष्य निधि का निवेश	31484.00	29734.00
कुल	31484.00	29734.00

वस्तुसूची :

विवरण	मुख्य भंडार	समुद्री भंडार	कार्यशाला भंडार	कुल
दिनांक 1.4.2016 को अथशेष	150.25	6.83	8.02	165.10
जोड़े : वर्ष के दौरान क्रय	56.93	276.99	0.59	334.52
घटाएँ :वर्ष के दौरान जारी	64.72	258.42	2.77	325.90
दिनांक 31.3.2017 को इतिशेष	142.47	25.40	5.85	173.72
कुल चालू परिसंपत्तियाँ			150180.37	259539.66

KANDLA PORT TRSUT

SCHEDULE TO BALANCE SHEET

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

SCHEDULE 6 - LOANS, ADVANCES & DEBIT BALANCES

(Rs. In lakhs)

Particulars	Opening Balance as on 1.4.2016	Addition	Deletion	Closing Balance as on 31.3.2017
Advances & Debit Balances:				
Marriage Advance	441.07	220.94	303.44	358.57
Conveyance Advance	355.04	167.90	155.47	367.47
House Building Advance	245.28	52.99	74.33	223.93
Festival Advance	707.30	836.76	838.65	705.41
Computer Advance	61.90	35.30	27.92	69.28
Advance to Suppliers, Contractor & Others(TDS deducted by Port Users, Banks, etc.)	87700.56	35335.20	31149.55	91886.21
Total	**89511.13**	**36649.09**	**32549.35**	**93610.87**
Deposits				
Deposits with other Organisation	1765.70	0.83	0.00	1766.53
Service Tax Receivable	0.00	10.2	0.00	10.19
Total	**1765.70**	**11.02**	**0.00**	**1776.71**
Income Tax				
Advance tax and Demand	48897.44	25152.60	3126.17	70923.88
Total	**48897.44**	**25152.60**	**3126.17**	**70923.88**
Total Advances & Debit Balances	**140174.27**	**61812.71**	**35675.52**	**166311.46**
Total Current Assets, Advances & Debit Balance	**169908.27**			**197795.46**

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2016-17

अनुसूची 6 - ऋण,अग्रिम और नामे शेष

(रू. लाख में)

विवरण	दिनांक 1.4.2016 को अथ शेष	अनुवृद्धि	विलोपन	दिनांक 31.3.2017 को इतिशेष
अग्रिम और नामे शेष				
विवाह अग्रिम	441.07	220.94	303.44	358.57
वाहन अग्रिम	355.04	167.90	155.47	367.47
गृह निर्माण अग्रिम	245.28	52.99	74.33	223.93
त्यौहार अग्रिम	707.30	836.76	838.65	705.41
कम्प्यूटर अग्रिम	61.90	35.30	27.92	69.28
आपूर्तिकर्ताओं,ठेकेदारों तथा अन्यों (पोर्ट उपयोगकर्ताओं बैंकों आदि द्वारा की गई टीडीएस की कटौती) को अग्रिम	87700.56	35335.20	31149.55	91886.21
कुल	**89511.13**	**36649.09**	**32549.35**	**93610.87**
जमा राशि				
अन्य संगठनों के साथ जमा राशि	1765.70	0.83	0.00	1766.53
सेवाकर प्राप्य	0.00	10.19	0.00	10.19
कुल	**1765.70**	**11.02**	**0.00**	**1776.71**
आयकर				
अग्रिम कर तथा मांग	48897.44	25152.60	3126.17	70923.88
कुल	**48897.44**	**25152.60**	**3126.17**	**70923.88**
कुल अग्रिम और नामे शेष	**140174.27**	**61812.71**	**35675.52**	**166311.46**
कुल चालू परिसंपत्तियाँ, अग्रिम और नामे शेष	**169908.27**			**197795.46**

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE TO BALANCE SHEET

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

(Rs. In lakhs)

Particulars	As at 31.3.2017	As at 31.3.2016
Current Liabilities		
Salaries & wages payable	2757.15	2352.23
Creditors for Stores	10.34	6.95
Accrued Expenses	17789.50	10375.99
Miscellaneous Creditors & Credit Balances		
Sales Tax Payable	14.02	13.56
Income Tax - TDS from employees	2.29	99.23
Income Tax - TDS from others	186.87	147.92
Sales Tax Recovery	19.57	15.43
Service Tax Payable	0.00	0.71
Professional Tax	42.85	28.11
Provision for Income Tax	65785.70	65785.70
Provision for Gratuity Scheme	243.07	240.84
Others	134.96	142.99
	66429.32	66474.48
Unadjusted Sales Proceeds of Capital Assets & Unclaimed Goods	862.36	301.96
Deposits from Merchants, Contractors & Others	41319.45	29545.77
KPT Employee Insurance Fund	24.11	25.46
HBA Special Benefit Scheme	130.85	118.02
Leave Encashment Fund	5442.60	4633.05
Provisions for diminution in investments	500.00	500.00
New Pension Scheme	0.00	-36.40
Provident fund	33308.72	32703.83
Fund for Corporate Social Responsibility	1124.56	1050.88
Combating Oil Spill at Kandla (Sinking Fund)	0.25	0.25
Provision for Deferred Tax Liability	9789.67	9789.67
Total	**179488.87**	**157842.15**

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2016-17

अनुसूची 7 -चालू देयताएँ तथा प्रावधान

(रू. लाख में)

विवरण	दिनांक 31.3.2017 को	दिनांक 31.3.2016 का
चालू देयताएं :		
देय वेतन तथा मजदूरी	2757.15	2352.23
भंडार संबंधी लेनदार	10.34	6.95
प्रोद्भूत व्यय	17789.50	10375.99
विविध लेनदार तथा जमा शेष राशि		
देय बिक्री कर	14.02	13.56
आयकर - कर्मचारियों से टीडीएस	2.29	99.23
आयकर - अन्यों से टीडीएस	186.87	147.92
बिक्री कर वसूली	19.57	15.43
देय सेवाकर	0.00	0.71
व्यवसाय कर	42.85	28.11
आयकर के लिए प्रावधान	65785.70	65785.70
उपदान योजना के लिए प्रावधान	243.07	240.84
अन्य	134.96	142.99
	66429.32	66474.48
पूंजीगत परिसंपत्ति तथा अदावाकृत माल के असमायोजित विक्रय आगम	862.36	301.96
व्यापारियों , ठेकेदारों तथा अन्यों की जमाराशि	41319.45	29545.77
कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी बीमा निधि	24.11	25.46
गृह निर्माण अग्रिम विशेष लाभ योजना	130.85	118.02
अवकाश नकदीकरण निधि	5442.60	4633.05
निवेश में कमी हेतु प्रावधान	500.00	500.00
नयी पेंशन योजना	0.00	-36.40
भविष्य निधि	33308.72	32703.83
कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु निधि	1124.56	1050.88
कंडला में तेल के रिसाव से समाघात (निक्षेप निधि)	0.25	0.25
आस्थगित कर देयता संबंधी प्रावधान	9789.67	9789.67
कुल	179488.87	157842.15

KANDLA PORT TRUST

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR 2016-17

(Rs. In lakhs)

Particulars	Schedule No.	Current Year 2016-17	Previous Year 2015-16
Income			
Cargo Handling & Storage Charges	I	45099.38	32047.97
Port & Dock Charges	II	62779.53	49719.82
Railway Earnings	III	260.92	94.35
Estate Rentals	IV	30174.96	16351.65
Total Operating Income		**138314.79**	**98213.79**
Expenditure			
Cargo Handling & Storage	V	16691.56	15663.26
Port & Dock Facilities	VI	30714.00	29526.97
Railway Workings	VII	579.92	146.52
Rentable Land & Buildings	VIII	4241.07	4488.78
Management & General Administration	IX	13651.95	12332.56
Total Operating Expenditure		**65878.50**	**62158.09**
Operating Surplus / Deficit:		**72436.28**	**36055.70**
Add: Finance & Miscellaneous Income	X	18869.60	20726.18
Less: Finance & Miscellaneous Expenditure	XI	21920.17	14569.55
Profit Before Tax		**69385.71**	**42212.33**
Provision for Deferred Tax (Note No.B(1) to Notes on Accounts)		0.00	0.00
Income Tax for the year (Note No. B(1) to Notes on Accounts)		0.00	0.00
Profit after Tax		**69385.71**	**42212.33**
Amount Available for Appropriation		**69385.71**	**42212.33**
Profit on disposal of Capital Assets	X	0.00	0.00
Contribution to Infrastructure Reserve	1	0.00	0.00
Contribution to Capital Assets Replacement Reserve	1	4144.26	17055.45
Contribution to Reserve for Replacement, Rehabilitation & Modernisation of Assets	1	5800.29	4698.66
Contribution to Reserve for Development, Repayment & Contingencies	1	5800.29	4698.66
Total Appropriations		15744.84	26452.77
Balance transferred to General Reserve		**53640.87**	**15759.56**

CHAIRMAN
KANDLA PORT TRUST

FA & CAO
KANDLA PORT TRUST

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

वर्ष 2016-17 का लाभ तथा हानि लेखा

(रू. लाख में)

विवरण	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष 2016-17	गत वर्ष 2015-16
आय			
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार	I	45099.38	32047.97
पोर्ट तथा गोदी प्रभार	II	62779.53	49719.82
रेलवे अर्जन	III	260.92	94.35
सम्पदा किराये	IV	30174.96	16351.65
कुल परिचालन आय		**138314.79**	**98213.79**
व्यय			
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण	V	16691.56	15663.26
पोर्ट तथा गोदी सुविधाएँ	VI	30714.00	29526.97
रेलवे कार्य	VII	579.92	146.52
किराये योग्य भूमि तथा भवन	VIII	4241.07	4488.78
प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन	IX	13651.95	12332.56
कुल परिचालन व्यय		**65878.50**	**62158.09**
परिचालन अधिशेष / घाटा		**72436.28**	**36055.70**
जोड़ें : वित्त तथा विविध आय	X	18869.60	20726.18
घटायें : वित्त तथा विविध व्यय	XI	21920.17	14569.55
कर पूर्व लाभ		**69385.71**	**42212.33**
आस्थगित कर हेतु प्रावधान (लेखा पर टिप्पणियो की सं.ख(1))		0.00	0.00
वर्ष के लिए आयकर (लेखा पर टिप्पणियो की सं.ख(1))		0.00	0.00
कर पश्चात् लाभ		**69385.71**	**42212.33**
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि		**69385.71**	**42212.33**
पूंजीगत परिसंपत्तियाँ के निपटान से लाभ	X	0.00	0.00
अवसंरचना आरक्षित को अंशदान	1	0.00	0.00
पूंजीगत परिसंपत्तियाँ प्रतिस्थापन आरक्षित में अंशदान	1	4144.26	17055.45
परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन,पुनर्वास और आधुनिकीकरण के	1	5800.29	4698.66
विकास , प्रतिसंदाय तथा आकस्मिकताओं हेतु आरक्षित में अंशदान	1	5800.29	4698.66
कुल विनियोजन		15744.84	26452.77
सामान्य आरक्षित में अन्तरित शेष		**53640.87**	**15759.56**

अध्यक्ष
कंडला पोर्ट ट्रस्ट

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
कंडला पोर्ट ट्रस्ट

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT

OPERATING INCOME

(Rs. In lakhs)

Particulars	Current Year 2016-17	Prevous Year 2015-16
Schedule - I		
Cargo Handling & Storage Charges		
Handling & Storage Charges	11893.11	9392.87
Warehousing Fees	219.27	172.97
Container Storage	17.27	2.86
POL Handling Charges	11666.58	6567.78
Sundry Handling	1020.34	1337.18
Demurrage Fees	1216.90	1445.21
Weighment Charges	367.60	322.57
Entry Permit Fees	36.82	31.92
Stevedoring Income from Agriculture Product	0.00	3.58
Revenue share for operating Mobile Harbour Crane	98.08	15.93
Dock Labour Stevedoring Income	5924.83	5398.10
Royalty Income from BOT	10061.85	7357.00
Essar Ltd. Vadinar	7079.80	3452.43
Tuna Port - M/s. Adani Kandla Bulk Terminal	2762.78	2265.17
Container Terminal Kandla - M/s. KICTPL	25.16	0.00
Barge Jetty - M/s. IFFCO Kisan	20.72	34.53
13th Cargo Berth - M/s. RAS Infra	173.40	1495.67
15th Cargo Berth - M/s. JRE Infra	0.00	109.20
Total	**42522.66**	**32047.97**
Schedule - II		
Port & Dock Charges		
Towage & Mooring Fees	6088.84	4622.45
Berth Hire Charges	10217.17	8341.61
Pilotage Fees	32547.48	25721.71
Port Dues	13626.91	10855.19
Drydocking Charges	298.04	165.46
Launch Hire	0.78	0.00
Other Receipts	0.31	13.41
Total	**62779.53**	**49719.82**
Schedule - III		
Railway Earnings	260.92	94.35
Total	**260.92**	**94.35**
Schedule - IV		
Estate Rentals		
Township Land Rentals	53.10	391.63
Freehold Conversion Fees	166.02	33.32
Rent from Lands	28383.97	14195.96
Rent from Buildings, Sheds & Godowns	151.56	244.53
Premium on Leased Land	176.77	170.32
Water Charges	50.49	11.03
Electricity Charges	258.94	270.87
Mortgage Charges	327.54	275.87
Transfer Fees	414.33	463.17
Other Miscellaneous Income (Kandla Land)	43.44	8.62
Other Miscellaneous Income (Gandhidham Land)	148.80	286.34
Total	**30174.96**	**16351.65**
Total Operating Income	**135738.06**	**98213.79**

कंडला पोर्ट ट्रस्ट
लाभ तथा हानि लेखे की अनुसूची
परिचालन आय

(रू. लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2016-17	गत वर्ष 2015-16
अनुसूची - 1		
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार		
प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार	11893.11	9392.87
भाण्डागार शुल्क	219.27	172.97
कंटेनर भंडारण	17.27	2.86
पी ओ एल प्रहस्तन प्रभार	11666.58	6567.78
विविध प्रहस्तन	1020.34	1337.18
विलंब शुल्क	1216.90	1445.21
भारण प्रभार	367.60	322.57
प्रविष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क	36.82	31.92
कृषि उत्पाद से नौभरण आय	0.00	3.58
चल हार्बर क्रेन के परिचालन हेतु राजस्व का हिस्सा	98.08	15.93
गोदी श्रमिक नौभरण आय	5924.83	5398.10
बीओटी से रॉयल्टी आय	**12638.57**	**7357.00**
एस्सार लिमिटेड, वाडीनार	7079.80	3452.43
तूणा पोर्ट - मेसर्स अदानी कंडला बल्क टर्मिनल	3524.63	2265.17
कंटेनर टर्मिनल कंडला मेसर्स के.आई.सी.टी.पी.एल	25.16	0.00
बजरा जेटी - मेसर्स इफको किसान	20.72	34.53
13वां नौभार घाट - मेसर्स रास इन्फ्र	1488.23	1495.67
15वां नौभार घाट - मेसर्स जेआरई इन्फ्र	500.04	109.20
कुल	**45099.38**	**32047.97**
अनुसूची - II		
पोर्ट तथा गोदी प्रभार		
नौकर्षण तथा नौबंध शुल्क	6088.84	4622.45
घाट भाड़ा प्रभार	10217.17	8341.61
पोतचालन कार्य शुल्क	32547.48	25721.71
पोर्ट देय	13626.91	10855.19
गोदी शुष्कीकरण प्रभार	298.04	165.46
लॉंच किराया	0.78	0.00
अन्य प्राप्तियाँ	0.31	13.41
कुल	**62779.53**	**49719.82**
अनुसूची - III		
रेलवे अर्जन	260.92	94.35
कुल	**260.92**	**94.35**
अनुसूची - IV		
सम्पदा किराये		
टाउनशिप भूमि से किराया	53.10	391.63
पूर्ण स्वामित्व हेतु संपरिवर्तन-शुल्क	166.02	33.32
भूमि से किराया	28383.97	14195.96
भवनों, शेडों तथा गोदामों से किराया	151.56	244.53
पट्टाधृत भूमि पर प्रीमियम	176.77	170.32
जल प्रभार	50.49	11.03
विद्युत प्रभार	258.94	270.87
बंधक शुल्क	327.54	275.87
अंतरण शुल्क	414.33	463.17
अन्य विविध आय (कंडला भूमि)	43.44	8.62
अन्य विविध आय (गांधीधाम भूमि)	148.80	286.34
कुल	30174.96	16351.65
कुल परिचालन आय	138314.79	98213.79

KANDLA PORT TRUST
SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT
OPERATING EXPENDITURE

(Rs. In lakh)

Particulars	Current Year 2016-17	Prevous Year 2015-16
Schedule - V		
Cargo Handling & Storage		
Handling & Storage of General Cargo at Sheds & Wharves	6880.64	8716.04
Warehousing	312.77	118.38
Operation & Maintenance of Cranes	2452.07	1874.60
POL Handling Expenses	190.35	198.91
Expenditure on General Facilities (Jetties,Sanitation,Elect.,Road,etc.)	1481.62	1125.19
Administration & General Expenses	2600.79	964.23
Depreciation	2773.32	2665.92
Total	16691.56	15663.26
Schedule - VI		
Port & Dock Facilities		
Berthing & Mooring	2384.14	2319.02
Pilotage & Towing	8724.75	8307.54
Dry Docking Expenses	221.15	132.11
Water Supply to Shipping	5.75	5.17
Fire Fighting	1009.16	1036.58
Dredging & Marine Survey	13779.20	13064.17
Expenditure on 11th & 12th Cargo Berth	259.00	262.29
Operation & Maintenance of Navigational Aids	144.80	176.89
Salvage & Underwater Repairs	40.53	45.02
Maintenance of Docks, Harbour Walls & Marine Structure	4.90	18.27
Administration & General Expenses	1162.21	1185.92
Depreciation	2978.41	2973.98
Total	30714.00	29526.97
Schedule - VII		
RAILWAY WORKINGS		
Maintenance of Yards & Sidings	116.77	95.18
Depreciation	463.15	51.34
Total	579.92	146.52
Schedule - VIII		
Rentable Lands & Buildings		
Estate Maintenance		
Administration & General Expenses	2972.07	3320.36
Depreciation	878.41	783.09
Total	390.58	385.34
	4241.07	4488.78
Schedule - -IX		
Management & General Administration		
Management & Secretarial Expenses		
Accounting & Auditing	4960.23	4357.64
Legal	1071.42	1101.16
Medical Expenses	349.38	202.76
Store Keeping	2411.07	2121.29
Expenditure on Head Office Bldg. & Telephone	390.78	446.61
Engineering & Workshop Overheads	318.06	336.89
Sundry Expenses	3435.22	3426.77
Depreciation	118.63	47.66
Total	597.17	291.77
	13651.95	12332.56
Total Operating Expenditure	65878.50	62158.09

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

लाभ तथा हानि लेखे की अनुसूची

परिचालन व्यय (रू. लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2016-17	गत वर्ष 2015-16
अनुसूची - V		
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण		
शेडों तथा भरणघाटों में सामान्य नौभार का प्रहस्तन तथा भंडारण	6880.64	8716.04
भंडारण	312.77	118.38
क्रेनों का परिचालन तथा अनुरक्षण	2452.07	1874.60
पीओएल प्रहस्तन व्यय	190.35	198.91
सामान्य सुविधाओं पर व्यय (जेटी, सफाई, विद्युत, सड़क आदि)	1481.62	1125.19
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	2600.79	964.23
मूल्यह्रास	2773.32	2665.92
कुल	16691.56	15663.26
अनुसूची - VI		
पोर्ट तथा गोदी सुविधाएँ:		
बर्थिंग तथा नौबंध	2384.14	2319.02
पोतचालन कार्य तथा नौकर्षण	8724.75	8307.54
गोदी शुष्कीकरण व्यय	221.15	132.11
नौवहन को जलापूर्ति	5.75	5.17
अग्निशमन	1009.16	1036.58
निकर्षण तथा समुद्री सर्वेक्षण	13779.20	13064.17
नौभार घाट सं. 11 तथा 12 संबंधी व्यय	259.00	262.29
नौसंचालन सहायक युक्तियों का परिचालन तथा अनुरक्षण	144.80	176.89
निस्तारण तथा जलगत मरम्मत	40.53	45.02
गोदी, पोताश्रय भित्तियों और समुद्री अधःसंरचना का अनुरक्षण	4.90	18.27
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	1162.21	1185.92
मूल्यह्रास	2978.41	2973.98
कुल	30714.00	29526.97
अनुसूची - VII		
रेलवे कार्य		
यार्ड तथा पार्श्वकाओं का अनुरक्षण	116.77	95.18
मूल्यह्रास	463.15	51.34
कुल	579.92	146.52
अनुसूची- VIII		
किराये योग्य भूमि तथा भवन		
संपदा अनुरक्षण	2972.07	3320.36
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	878.41	783.09
मूल्यह्रास	390.58	385.34
कुल	4241.07	4488.78
अनुसूची - -IX		
प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन तथा सचिवालयीन व्यय	4960.23	4357.64
लेखांकन तथा लेखा परीक्षा	1071.42	1101.16
विधिक	349.38	202.76
चिकित्सा व्यय	2411.07	2121.29
भंडार अनुरक्षण	390.78	446.61
प्रधान कार्यालय भवन तथा टेलीफोन पर व्यय	318.06	336.89
अभियांत्रिकी तथा कार्यशाला उपरि व्यय	3435.22	3426.77
विविध व्यय	118.63	47.66
मूल्यह्रास	597.17	291.77
कुल	13651.95	12332.56
कुल परिचालन व्यय	65878.50	62158.09

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT

(Rs. In lakh)

Particulars	Current Year 2016-17	Prevous Year 2015-16
Schedule - X		
Finance & Miscellaneous Income		
Interest on General & Other Reserve Fund Investments	14898.49	12792.92
Interest on Staff Advances & delayed Payments	176.40	234.87
Dividend Income	286.00	130.00
Sale of Unserviceable Materials	9.25	0.00
Lapsed & Forfeited Deposits	0.10	70.00
Testing Fees	8.62	10.19
Interest on refund of Income Tax	832.62	169.13
Overhead Income	361.78	268.60
Permit & License	20.00	6.21
Storage Charges	0.24	0.05
Fire Fighting Charges	50.30	23.72
Sale of Documents	28.39	14.83
Vehicle Hire Charges	0.57	0.00
Income from Collection for OPC	7.64	15.21
Medical Charges from Outsiders	2.08	2.46
Other Receipts	1061.94	3769.60
Prior Period Income	1125.15	3218.39
Total F&M Income	18869.60	20726.18
Total Income	157184.39	118939.97
Schedule - XI		
Finance & Miscellaneous Expenditure		
Bank & Commission Charges	0.62	1.26
Interest on delayed/disputed payment of Service Tax	11.48	19.06
Interest on delayed/disputed payment of Income Tax	0.00	6.53
Interest on Govt. Loan and Secured Loan	18.18	15.00
Contribution to Gratuity Fund	1200.00	1200.00
Contribution to Pension Fund	16980.02	9230.51
Exgratia on Special V.R.S. Scheme	0.00	166.62
Retirement Travelling Allowance	8.78	14.75
Contribution to New Pension Scheme	185.23	143.29
Contribution to Leave Encashment Fund	809.55	3073.91
Provisions for General Investment	0.00	500.00
Misc. Expenditure	472.84	396.98
Board Contribution to PF	0.00	0.57
Welfare Expense	269.91	271.08
Contribution to Corporate Social Responsibility	260.00	150.00
Wage Revision Dues	1.01	5.95
Prior Period Expenditure	1702.54	-625.96
Total F & M Expenditure	21920.17	14569.55
Total Expenditure	87798.68	76727.64
Surplus before Tax	69385.71	42212.32
Provision for Deferred Tax (See Note No.B (1) of Notes on Accounts)	0.00	0.00
Income Tax (See Note No.B (1) of Notes on Accounts)	0.00	0.00
Revenue Clearing Account	0.00	0.00
Net Surplus after Tax	69385.71	42212.33

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

लाभ तथा हानि लेखे की अनुसूची

(रू. लाख म)

विवरण	चालू वर्ष 2016-17	गत वर्ष 2015-16
अनुसूची - X		
वित्त तथा विविध आय		
सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि निवेशों पर ब्याज	14898.49	12792.92
कर्मचारियों को अग्रिम तथा विलंबित भुगतान पर ब्याज	176.40	234.87
लाभांश आय	286.00	130.00
अप्रयुक्त सामग्रियों का विक्रय	9.25	0.00
व्यपगत तथा समपहृत जमा राशि	0.10	70.00
परीक्षण शुल्क	8.62	10.19
आयकर वापसी पर ब्याज	832.62	169.13
शिरोपरि आय	361.78	268.60
नौभार घाट सं. 11 तथा 12 से - ब्याज पर आय	0.04	0.00
अनुज्ञा-पत्र तथा अनुज्ञप्ति	20.00	6.21
भंडारण प्रभार	0.24	0.05
अग्निशमन प्रभार	50.30	23.72
दस्तावेजों का विक्रय	28.39	14.83
वाहन भाड़ा प्रभार	0.57	0.00
तेल प्रदूषण नियंत्रण की वसूली से आय	7.64	15.21
बाहरी व्यक्तियों से चिकित्सा प्रभार	2.08	2.46
अन्य प्राप्तियां	1061.94	3769.60
पूर्वविधि आय	1125.15	3218.39
कुल वित्त तथा विविध व्यय	18869.60	20726.18
कुल आय	157184.39	118939.97
अनुसूचा - XI		
वित्त तथा विविध व्यय		
बैंक तथा कमीशन प्रभार	0.62	1.26
सेवाकर के विलंबित/विवादित भुगतान सें संबंधित ब्याज	11.48	19.06
आयकर के विलंबित/विवादित भुगतान से संबंधित ब्याज	0.00	6.53
सरकारी ऋण तथा सुरक्षित ऋण पर ब्याज	18.18	15.00
उपदान निधि में अंशदान	1200.00	1200.00
पेंशन निधि में अंशदान	16980.02	9230.51
विशेष स्वैछिक सेवानिवृत्ति योजना पर अनुग्रह राशि	0.00	166.62
सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	8.78	14.75
नई पेंशन योजना में अंशदान	185.23	143.29
अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान	809.55	3073.91
सामान्य निवेश हेतु प्रावधान	0.00	500.00
विविध व्यय	472.84	396.98
भविष्य निधि में बोर्ड का अंशदान	0.00	0.57
कल्याण संबंधी व्यय	269.91	271.08
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में अंशदान	260.00	150.00
वेतन पुनरीक्षण देय	1.01	5.95
पूर्वविधि व्यय	1702.54	-625.96
कुल वित्त तथा विविध व्यय	21920.17	14569.55
कुल व्यय	87798.68	76727.64
कर पूर्व अधिशेष	69385.71	42212.32
आस्थगित कर के लिए प्रावधान (लेखा टिप्पणी की टिप्पणी संख्या ख (1) देखें)	0.00	0.00
आयकर (लेखा टिप्पणी की टिप्पणी संख्या ख (1) देखें)	0.00	0.00
राजस्व निकासी लेखा	0.00	0.00
कर पश्चात् शुद्ध अधिशेष	69385.71	42212.33

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT

(Rs. In lakh)

Particulars	Current Year 2016-17	Prevous Year 2015-16
Schedule - XII		
A) Salaries & Wages		
Salaries & Wages	19927.79	20456.46
Overtime	3162.28	3568.40
Stipend to Trainees	104.73	27.26
Productivity Linked Reward	414.76	226.02
Leave Travel Concession	31.82	33.06
Salaries & Wages Total	23641.37	24311.19
B) Stores		
Stores (Uniform)	22.31	152.12
Stores (Operation)	13.05	41.41
Stores (Repairs & Maintenance)	971.96	619.91
Stores Total	1007.31	813.43
C) Office & Administrative Expenses		
Communication	44.91	40.43
Travelling Expenses	142.48	128.21
Furniture, Office Equipment, Etc.	59.60	30.34
Books & Periodicals	0.40	0.41
Stationery	13.66	13.44
New Minor Works	0.00	0.00
Advertisement & Publicity	846.82	533.53
Legal, Arbitration & Professional Fees	463.41	444.51
Rent, Rates & Taxes	17.82	8.09
Audit Fees and Accounting Expenses	7.22	4.00
Tax Audit Fees	49.91	59.75
Contribution & Subscription	63.65	287.23
Trustees Fees	5.52	4.51
Office Equipment Maintenance	0.45	1.99
Entertainment	15.09	9.45
Office & Administrative Expenses Total	1730.93	1565.88
D) Operation & Maintenance Expenses		
Power	1932.12	1935.77
Fuel	3299.90	2273.88
Maintenance Dredging	13334.25	12561.35
R&M of Equipment, Craft, Infrastructure Facilities	3468.68	2723.01
Hire Charges of Vehicles	316.44	280.11
Hire of Crafts	4518.23	4698.79
Water Charges	331.08	432.52
Operation & Maintenance Expenses Total	27200.70	24905.42
E) Security Expenses		
Expenditure on CISF	2801.27	2277.52
Police & Other Security Agencies	73.57	38.24
Security Expenses Total	2874.84	2315.77
F) Medical Expenses		
Fees to Outside Professionals	37.83	46.30
Stores (Medical)	43.98	69.69
Reimbursement of Medicines to Staff	498.59	460.99
Charges Paid to Outside Hospitals	482.62	313.96
Retired Medical Scheme	598.33	494.46
Other Medical Expenses	27.47	19.19
Medical Expenses Total	1688.82	1404.59
G) Depreciation	7368.95	6534.67
AMC for EDP	36.54	62.94
Printing & Publishing	45.84	15.86
Insurance	12.16	13.05
Training, Sports, Contingencies, Departmental Charges, etc.	271.03	215.29
Other Expenses Total	365.57	307.13
Total Operating Expenses	65878.50	62158.08

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

लाभ तथा हानि लेखे की अनुसूची (रू. लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2016-17	गत वर्ष 2015-16
अनुसूची - XII		
क)वेतन तथा मजदूरी		
वेतन तथा मजदूरी	19927.79	20456.46
समयोपरि	3162.28	3568.40
प्रशिक्षणार्थियों को वृतिका	104.73	27.26
उत्पादक्तायुक्त पुरस्कार	414.76	226.02
अवकाश यात्रा रियायत	31.82	33.06
वेतन तथा मजदूरी कुल	23641.37	24311.19
ख)भंडार		
भंडार सामग्री (वर्दी)	22.31	152.12
भंडार सामग्री (प्रचालन)	13.05	41.41
भंडार सामग्री (मरम्मत तथा अनुरक्षण)	971.96	619.91
भंडार सामग्री कुल	1007.31	813.43
ग) कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय		
संचार	44.91	40.43
यात्रा व्यय	142.48	128.21
फर्नीचर, कार्यालय उपकरण आदि	59.60	30.34
पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएं	0.40	0.41
लेखन सामग्री	13.66	13.44
विज्ञापन तथा प्रचार	846.82	533.53
बोधक, मध्यस्थ तथा व्यवसायिक शुल्क	463.41	444.51
किराया, दरें तथा कर	17.82	8.09
लेखा परीक्षा शुल्क	7.22	4.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क	49.91	59.75
अंशदान एवं अभिदान	63.65	287.23
न्यासियों का शुल्क	5.52	4.51
कार्यालयीन उपकरणों का अनुरक्षण	0.45	1.99
मनोरंजन	15.09	9.45
कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय कुल	1730.93	1565.88
घ) प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय		
बिजली	1932.12	1935.77
ईंधन	3299.90	2273.88
अनुरक्षण निकषण	13334.25	12561.35
उपकरण, जलयान तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की मरम्मत तथा अनुरक्षण	3468.68	2723.01
वाहनों का भाड़ा प्रभार	316.44	280.11
जलयानों का भाड़ा	4518.23	4698.79
जल प्रभार	331.08	432.52
प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय कुल	27200.70	24905.42
च)सुरक्षा व्यय		
सी आई एस एफ से संबंधित व्यय	2801.27	2277.52
पुलिस तथा अन्य सुरक्षा अभिकरणों से संबंधित व्यय	73.57	38.24
सुरक्षा व्यय कुल	2874.84	2315.77
छ) चिकित्सा व्यय		
बाहरी व्यावसायिक व्यक्तियों को शुल्क	37.83	46.30
भंडार सामग्री (चिकित्सा)	43.98	69.69
कर्मचारियों को दवाओं की प्रतिपूर्ति	498.59	460.99
बाहरी अस्पतालों को संदत्त प्रभार	482.62	313.96
सेवानिवृत्त चिकित्सा योजना	598.33	494.46
अन्य चिकित्सा व्यय	27.47	19.19
चिकित्सा व्यय कुल	1688.82	1404.59
ज) मूल्यह्रास	7368.95	6534.67
इंडीपी हेतु ए एम सी	36.54	62.94
मुद्रण तथा प्रकाशन	45.84	15.86
बीमा	12.16	13.05
प्रशिक्षण, खेलकूद, आकस्मिकताएं, विभागीय प्रभार इत्यादि	271.03	215.29
अन्य व्यय कुल	365.57	307.13
कुल प्रचालन व्यय	65878.50	62158.08

KANDLA PORT TRUST

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS 2016-17

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: -

1) The annual accounts have been prepared based on the revised accounting policy as set out in the Billimoria Report and implemented from the year 2003-04 and the figures shown in the accounts are in lakhs.

2) Accrual Basis of Accounting is followed in preparation of accounting statements. The Fundamental Accounting Assumptions of Going Concern and Consistency is followed.

3) Revenue is recognized on completed service method.

4) Fixed assets are valued at Original Cost of acquisition.

5) The depreciation is calculated based on Straight-line Method for accounting purpose and is applied consistently so far. The depreciation on assets put to use for less than 30 days were provided with no depreciation and assets put to use for less than 180 days were provided with half the depreciation and assets in use for more than 180 days provided full depreciation.

6) Investments are valued at Original Face Value. The investments consist of PSU Bonds, Equity participation and Term deposits with Banks. All investments are non-trade investments.

7) The Moving Weighted Average Method is adopted for valuation of inventory and no depreciation policy has been adopted by the Port on the stores items.

8) The separate Trusts for Pension and Gratuity have been created for managing the Pension and Gratuity Funds. The contributions to the Trusts are made as per Actuarial Valuation.

9) Capital Reserve represents the investment in Fixed Assets by Port's own funds and other capital receipts.

10) Capital employed has been taken as "Net Fixed Assets plus Net Current Assets". 3% of the capital employed has been appropriated to each of the two 3% Statutory Reserves.

11) Furniture is charged under the Revenue heads.

12) New Minor Works i.e. works costing less than Rs. One lakh are charged under Revenue heads.

13) Ministry of Shipping vide letter No. PG-F-15/76 dated 22/09/1976 directed the creation of the following reserves:-

(i) 3 percent of Capital Employed to Replacement, Rehabilitation & Modernisation.

(ii) 3 percent of Capital Employed towards Development, Repayment and Contingencies.

These reserves are being operative accordingly since then and in addition to that another reserve I.e. "Capital Assets Replacement Reserve" created for the purpose of meeting the gap between historical and replacement cost of assets vide Ministry's letter No. PGF/53/78 dated 29/06/1979 with a ceiling of Rs. 2000 lakhs.

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

वर्ष 2016-17 के लेखे से संबधित नीतियाँ तथा लेखों की भाग रूप टिप्पणियाँ

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1) बिलिमोरिया रिपोर्ट में निर्धारित परिशोधित लेखा संबंधी नीति के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है और वर्ष 2003-04 से क्रियान्वित किया गया है तथा लेखों में इसके आँकड़े लाखों में दिखाए गए हैं।

2) लेखाओं के विवरण तैयार करने में लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का अनुपालन किया जाता है। मूलभूत लेखांकन संबंधी धारणा में चालू समुत्थान तथा संगतता का अनुपालन किया जाता है।

3) सेवा पद्धति की समाप्ति पर राजस्व मान्य होता है।

4) स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण की मूल लागत पर किया जाता है।

5) लेखांकन उद्देश्य के लिए सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास का परिकलन किया जाता है और यह अभी तक सुसंगत रुप से प्रयुक्त है। 30 दिनों से कम समय के लिए प्रयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास उपबंधित नहीं किया गया तथा 180 दिनों से कम समय के लिए प्रयोग में लाई गई तो मूल्यह्रास 50% तक और 180 दिनों से अधिक समय के लिए प्रयोग में लाई गई तो पूर्ण मूल्यह्रास उपबंधित किया गया है।

6) निवेशों का मूल्यांकन मूल अंकित मूल्य पर किया गया है। निवेशों में पीएसयू बंधपत्र, साम्य सहभागिता और बैंकों में सावधि जमा शामिल है। सभी निवेश गैर-कारोबारी निवेश हैं।

7) सम्पत्ति सूची के मूल्यांकन के लिए चल भारित औसत विधि अपनाई गई है और भंडार मदों के लिए पोर्ट द्वारा कोई मूल्यह्रास नीति नहीं अपनाई गई है।

8) पेंशन तथा उपदान निधि का प्रबंध करने के लिए पेंशन तथा उपदान संबंधी पृथक न्यास बनाए गए हैं। न्यासों में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अंशदान किए गए हैं।

9) पूंजीगत आरक्षित, पोर्ट की अपनी निधियों द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश तथा अन्य पूंजीगत प्राप्तियां प्रदर्शित करता है।

10) नियोजित पूंजी को "शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियां-सह -शुद्ध चालू परिसंपत्तियां " के रूप में लिया गया है। प्रत्येक दो 3% सांविधिक आरक्षितों के लिए नियोजित पूंजी का 3% विनियोजित किया गया है।

11) फर्नीचर राजस्व शीर्ष के अधीन प्रभारित है।

12) नये लघु कार्य अर्थात् एक लाख रुपये से कम लागत के कार्य राजस्व शीर्ष के अधीन प्रभारित हैं।

13 पोत परिवहन मंत्रालय ने पत्र सं.पीजी-एफ-15/76 दिनांक 22.9.1976 द्वारा निम्नलिखित आरक्षितों का निर्माण करने हेतु निदेश दिए :

(i) प्रतिस्थापन , पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण के लिए नियोजित पूंजी का 3 प्रतिशत

(ii) विकास पुनर्भुगतान एवं आकस्मिकताओं के लिए नियोजित पूंजी का 3 प्रतिशत

ये आरक्षित तब से तदनुसार क्रियाशील किए जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त मंत्रालय के पत्र सं.पीजीएफ/53 /78 दिनांक 29/06/1979 के माध्यम से परिसंपत्तियों की ऐतिहासिक एवं प्रतिस्थापन लागत के बीच अंतराल को भरने के आशय से रू.2000 लाख की अंतिम सीमा (सिलिंग) सहित एक अन्य आरक्षित अर्थात "पूंजीगत परिसंपत्तियां प्रतिस्थापन आरक्षित " का निर्माण किया गया।

14) Dredging expenditure relating to Maintenance of existing levels of depth and width are charged to Revenue, while those of additional depth achieved are treated as Capital in nature.

B. NOTES ON ACCOUNTS: -

1) No provision for Income Tax of Rs. 20465.58 lakhs for F.Y. 2016-17 has been made, as KPT claimed exemption u/s 11 to 13 of Income Tax Act on the basis of report of Tax Planner and accordingly, return of Income Tax for F.Y. 2015-16 is filled in the category of Trust by claiming refund of Rs. 16200 lakhs and revised return for F.Y. 2014-15 is filled by claiming refund of Rs. 15400 lakhs. Advance tax paid of Rs. 7235 lakhs during the year and TDS deducted by Banks, Port Users, etc. of Rs. 8015 lakhs is shown under the recoverable advance and same will be claimed as refund at the time of filling of return for the year 2016-17.

2) All Sundry Debtors are considered good and hence no provision is made for bad debts as per Government letter No. PR-20021/2/98-PG dated 6/11/2002. The matter is being taken up with Ministry of Shipping to formulate a uniform policy in this regard.

3) The pension and gratuity payments of the year have been made from the respective Trust accounts.

4) A provision of Rs. 414.76 lakhs has been made for PLR for the year 2016-17.

5) The interest earned on the investment of the Statutory Reserves & Infrastructure Reserve has been credited directly to the respective reserves.

6) The Capital Reserve of Rs. 218782.62 lakhs shown in the Balance Sheet, does not include Capital Work In Progress incurred during the year amounting to Rs. 13298.58 lakhs.

7) In accordance with the concept of prudence and conservatism, the following amounts are not recognised in the accounts:-

As parties filed, SCA in the High Court of Gujarat, challenging the Land Policy Guidelines as well as rate structure as approved by TAMP vide Notification No. 106 of 11/05/2011 and 350 of 4/12/2014:-

a) Lease Rent(IOC,United Storage,Lanxess & Associates)	-	9647.47 lakhs
b) Compensation bill (Laxmi, Kesar, United, IOC, BPC, HPC & Iffco)	-	5727.02 lakhs
Total		**15374.49 lakhs**

8) A Refund claim for Rs. 84.11 lakhs paid by KPT towards sales tax and penalty was in appeal and was pending with Dy. Commissioner, Sales Tax, Rajkot.

9) The equity investment of Rs. 500 lakhs, made in Petronet V. K. Ltd. is being eroded due to negative net worth of Petronet V K Ltd. and the company has become sick. The provision for diminution in the value has been made as approved by the Board vide Resolution No. 152 of 12/2/2016.

14) गहराई और चौड़ाई के विद्यमान स्तर के अनुरक्षण से संबंधित निकर्षण व्यय को राजस्व में प्रभारित किया गया है। जबकि प्राप्त की गई अतिरिक्त गहराई को प्राकृतिकपूंजी के रूप में माना गया है।

(ख) <u>लेखे से संबंधित टिप्पणियाँ:-</u>

1) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रू. 20465.58 लाख के आयकर हेतु प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कर योजनाकार की रिपोर्ट के आधार पर कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 11 से 13 के अधीन छूट का दावा प्रस्तुत किया है एवं तदनुसार रू.16200 लाख के प्रतिदाय का दावा करते हुए ट्रस्ट के प्रवर्ग में वर्ष 2015-16 हेतु आयकर विवरणी भरी गई है और रू.15400 के प्रतिदाय का दावा करते हुए वर्ष 2014-15 हेतु संशोधित विवरणी भरी गई है। वर्ष के दौरान अदा किए गए रू. 7235 लाख के अग्रिम कर तथा बैंकों, पोर्ट उपयोगकर्ताओं इत्यादि द्वारा रू.8015 लाख की टीडीएस की कटौती को वसूलीयोग्य अग्रिम के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा वर्ष 2016-17 की विवरणी भरते समय इसका दावा प्रतिदाय के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

2) सभी विविध देनदार शोध्य माने गए हैं, अतः अशोध्य ऋणों के लिए सरकारी पत्र सं.पी आर-20021/2/98-पीजी दिनांक 6/11/2002 के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस संबंध में एक समरूप नीति प्रतिपादित करने हेतु पोत परिवहन मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाया जा रहा है।

3) वर्ष के पेंशन तथा उपदान का भुगतान संबंधित न्यास खातों से किया गया है।

4) वर्ष 2016-17 के लिए उत्पादन से जुड़े हुए पुरस्कार के लिए रू. 414.76 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

5) सांविधिक आरक्षित और अवसंरचना आरक्षित निवेश पर अर्जित ब्याज सीधे संबंधित आरक्षितों में जमा किया गया है।

6) तुलनपत्र में दर्शाई गई रु. 218782.62 लाख के पूंजीगत आरक्षित में वर्ष के दौरान वहन की गई रु.13298.58 लाख के चालू पूंजीगत कार्य की राशि शामिल नहीं है।

7) विवेक एवं रूढिवाद की अवधारण के अनुसार लेखा खातों में निम्नलिखित राशि मान्य नहीं है, क्योंकि पक्षकारों ने भू-नीति विषयक दिशानिर्देशों तथा टीएएमपी द्वारा अधिसूचना सं.106 दिनांक 11/5/2011 एवं 350 दिनांक 4/12/2014 के माध्यम से अनुमोदित दर-संरचना को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में एससीए दायर किया है:-

क) पट्टा किराया (आईओसी, युनाईटेड भांडागार, लैन्क्सेस एन्ड एसोसिएटस)	-	9647.47 लाख
ख) क्षतिपूर्ति बिल (लक्ष्मी, केसर, युनाईटेड, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी तथा इफ्को)	-	5727.02 लाख
कुल		15374.49 लाख

8) कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बिक्री कर तथा जुर्माने के मद्दे अदा किए गए रू. 84.11 लाख से संबंधित प्रतिदाय दावा अपील में था और यह उपायुक्त, बिक्री कर, राजकोट के पास लंबित था।

9) पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड के शुद्ध मूल्य नकारात्मक होने एवं कंपनी के बीमार हो जाने के कारण पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड में किए गए रू. 500 लाख के साम्य निवेश को धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा है। संकल्प सं.152 दिनांक 12.2.2016 के माध्यम से बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान किया गया है।

10) The contingent liabilities in respect of following suits are pending:-

Sr.	Name of Party	Amount in Lakhs	Remarks
a	M/s. ABGCTL (Now, Kandla Container Terminal Pvt. Ltd.)	32035.00	The KPT has filed a counter suit against such claims
b	M/s. Jaisu Shipping Co.Pvt. Ltd.	11911.00	- do -
c	M/s. Doongursee Salt Works	8086.40	- do -
d	M/s. Bhumi Kwang	17509.00	- do -

11) The details of the existing staff strength and cost there as is as under :-

Sr.	Particulars	2016-17	2015-16
a	Class – I	87	79
b	Class – II	59	56
c	Class – III	1086	1093
d	Class – IV	764	850
e	Shore workers	215	236
f	Dock Labour	558	574
	Total	2769	2888
	Employees cost (Rs. In Lakhs)	23641.37	24311.19

12) An amount of Rs. 1558 lakhs was paid by KPT to National Highway Division, Govt. of Gujarat being financial assistance during 1998-99 for widening of National Highway road from Kandla Special Economic Zone to West Gate No.2, which was to repay from the toll tax recoverable from the road. But, since no toll tax can be recovered within the limit of 80 KM as per the relevant Act and as opposed by the public, NH Authority is unable to recover the toll tax. However, they have been asked to repay the amount.

13) The number of vessels handled during 2016-17 & 2015-16 is 2568 and 2513 respectively.

14) The GRT handled during 2016-17 & 2015-16 is 822.74 lakhs tonnes and 774.78 lakhs tonnes respectively.

15) Kandla Port Trust executed a Licence Agreement with M/s. ABGKCTL on 23/06/2006 for the Project of Development, Operation, Management and Maintenance of Berth Nos. 11 & 12 at Kandla Port as Container Terminal on Build, Operate and Transfer (BOT) basis for a period of 30 years. Due to various defaults (technical & financial), KPT issued a Termination Notice to ABGKCT. M/s. ABGKCTL took the matter to the court, in which, the Hon'ble High Court passed an interim order dated 16/08/2013.

As per the said orders, the berth No. 11 & 12 along with the assets and structures have been taken over by KPT on 27/09/2013 for which, KPT has submitted the FDRs amounting to Rs. 11533 lakhs i.e. Rs. 11000 lakhs (+) interest amounting to Rs. 533 lakhs in the Court. In pursuance to the Oral Order dated 20/12/2013 of the High Court of Gujarat, the Arbitral Tribunal of Sole Arbitrator, Justice Shri C. K. Thakker, Retired Judge of Supreme Court of India has been constituted to adjudicate the disputes and differences between ABGKCTL, KPT & the Lender Banks.

10) निम्नलिखित मामलों से संबंधित आकस्मिक देयताएं लंबित हैं :-

क्र.स	पक्षकार का नाम	राशि लाखों में	टिप्पणियाँ
क	मैसर्स एबीजीसीटीएल(अब कंडला कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड)	32035.00	कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने ऐसे दावों के विरुद्ध जवाबी मुकदमा दर्ज किया है।
ख	मैसर्स जैसु शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	11911.00	- वही -
ग	मैसर्स दूनगार्से सॉल्ट वर्क्स	8086.40	- वही -
घ	मैसर्स भूमि क्वांग	17509.00	- वही -

11) वर्तमान कर्मचारी संख्याबल एवं लागत का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.स	विवरण	2016-17	2015-16
क	श्रेणी - I	87	79
ख	श्रेणी - II	59	56
ग	श्रेणी - III	1086	1093
घ	श्रेणी - IV	764	850
च	तटीय कामगार	215	236
छ	गोदी श्रमिक	558	574
	कुल	2769	2888
	कर्मचारियों की लागत (लाख रु.में)	23641.37	24311.19

12) कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 1998-99 के दौरान कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र से पश्चिमी द्वार संख्या-2 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, गुजरात सरकार को रु. 1558 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए थे जिसकी अदायगी मार्ग के टोल टैक्स वसूली द्वारा की जानी थी। चूंकि संबंधित अधिनियम के अनुसार 80 कि.मीटर की सीमा के भीतर कोई टोल टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता, साथ ही जनता द्वारा भी इसका विरोध किया गया, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल टैक्स की वसूली नहीं कर पाया। •तथापि उनसे राशि की पुनर्अदायगी करने हेतु कहा गया है।

13) वर्ष 2016-17 तथा 2015-16 के दौरान संभाले गए जलयानों की संख्या क्रमशः 2568 और 2513 है।

14) वर्ष 2016-17 तथा 2015-16 के दौरान संभाला गया जीआरटी क्रमशः 822.74 लाख टन और 774.78 लाख टन रहा है।

15) कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने निर्माण, प्रचालन तथा अंतरण (बीओटी) के आधार पर दीनदयाल पोर्ट मे स्थित घाट सं. 11 तथा 12 को कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित करने से संबंधित परियोजना के प्रचालन, प्रबंधन तथा अनुरक्षण हेतु दिनांक 23/06/2006 को मैसर्स एबीजीकेसीटीएल के साथ 30 वर्षो की अवधि के लिए एक अनुज्ञप्ति-करार निष्पादित किया है। विभिन्न बकायों (तकनीकी तथा वित्तीय) के कारण कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने मैसर्स एबीजीकेसीटीएल को समाप्ति नोटिस जारी की है। मैसर्स एबीजी केसीटीएल द्वारा यह मामला न्यायालय में ले जाया गया जिस पर दिनांक 16/08/2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है।

उपरोक्त आदेशों के अनुसार कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने परिसंपत्तियों तथा अवसरंचनाओं सहित घाट सं.11 तथा 12 का दिनांक 27/09/2013 को कब्जा ले लिया था जिसके लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने रू. 11533 लाख अर्थात् रू. 11000 लाख (+) रू.533 लाख ब्याज की राशि का एफ डी आर न्यायालय में जमा किया है। गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 20/12/2013 के मौखिक आदेशों के अनुसरण में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत एकमात्र मध्यस्थ न्यायाधीश श्री सी.के. ठक्कर, के अधीन एक मध्यस्थ अधिकरण गठित किया गया है ताकि मैसर्स एबीजी केसीटीएल, कंडला पोर्ट ट्रस्ट तथा ऋणदाता बैंकों के मध्य विवादों तथा मतभेदों पर निर्णय किया जा सके।

16) Capital Grant of Rs. 375 lakhs received during the year 2015-16 under the Centrally Sponsored Schemes for Combating Oil Pollution and Vitigating measures at OOT, Vadinar, KPT and same is credited in Capital Reserve.

17) Foreign Currency receipts and payments are accounted for at the rate prevailing at the time of transaction. During the year Foreign Currency receipt is Rs. 34638.48 lakhs.

18) The provision towards leave encashment liability has been made on the basis of acturial valuation as per AS-15, as done by LIC based on leave of 160 days in individual account. Based on the above valuation, an investment of Leave Encashment is classified in the Investment Schedule.

19) The details of service tax demand and interest at appropriate rate by Service Tax Department and status thereof is furnished as under:-

Sr.	Period	Amount in Lakhs	Status of Case
a	FY 2007-08 to 2010-11	694.49	Demand not accepted & stay granted to appeal.
b	FY 2007-08 to 2010-11	1465.29	Demand not accepted & stay granted to appeal.
c	FY 2011-12	239.01	Demand not accepted & stay granted to appeal.
d	FY 2012-13	169.47	Demand not accepted & stay granted to appeal.
e	Non payment of S. Tax on deployment charges of CISF	79.15	The part payment of Rs. 4.11 lakhs with interest made and order is awaited. An amount of Rs. 5.93 Lakhs and Service Tax of Rs. 31.92 lakhs paid. Appeal filed with CESTAT.
	Total	2647.41	

20) An amount of Rs. 1730 lakhs, swapped from Provident Fund Investment to General Fund Investment as per Board's approval, which includes of Rs. 823 lakhs towards principal and Rs. 907 lakhs towards interest due from Investments in three different defunct PSUs. The realization of amounts depends on the outcome of court case filed by KPT. Out of three PSU's compromise/settlement has been made with PICUP as per instruction of Ministry of Shipping and with approval of the Board. The distribution of swapped interest of Rs. 907 lakhs to the subscribers is being made. In case of MPSIDC, the matter is pending in High Court of Jabalpur and in case of UPCSML petition is filed in the High Court of Gujarat at Ahmedabad against the Order of Gandhidham Court as Local Court has dismissed the claim of KPT. In the case of MPSIDC, the principle amount is Rs. 46 lakhs and in case of UPCSML, the principle amount is Rs. 77 lakhs.

21) As per Government's guidelines, an amount of Rs. 260 lakhs has been contributed towards Corporate Social Responsibility Fund during the current year and charged to Finance & Miscellaneous Expenditure. The CSR expenditure incurred during previous year and current year is Rs. 21.32 lakhs and Rs. 143.58 lakhs respectively.

22) To comply with the provisions of Income Tax Act, two separate Trusts were created for Gratuity and Pension Funds. The Accounts of Pension Trust and Gratuity Trust are annexed.

23) No deferred tax assets and liabilities are recognised, as no provision for income tax has been made.

16) वर्ष 2015-16 के दौरान अपतट तेल टर्मिनल, वाड़ीनार, कंडला पोर्ट ट्रस्ट में तेल प्रदूषण से निपटने तथा तत्संबंधी उपायों में कमी लाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत रू. 375 लाख का पूंजी-अनुदान प्राप्त हुआ और इसे पूंजीगत आरक्षित में जमा किया गया।

17) विदेशी मुद्रा से संबधित प्राप्तियां एवं संदायो को लेनदेन के समय प्रचलित दर पर लेखांकित किया गया है। वर्ष के दौरान रू. 34638.48 लाख की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

18) ए एस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण देयता के मद्दे प्रावधान किया गया है जैसा कि एल आई सी द्वारा व्यक्तिगत खाते में 160 दिनों की छुट्टियों के आधार पर किया जाता है। उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर निवेश अनुसूची में अवकाश नकदीकरण हेतु एक निवेश को वर्गीकृत किया गया है।

19) सेवाकर विभाग द्वारा सेवा कर संबंधी मांग तथा उस पर उपयुक्त दर पर ब्याज के ब्यौरे और तत्संबंधी स्थिति नीचे दर्शाई गई है :-

क्र.सं.	अवधि	राशि लाख में	मामले की स्थिति
क	वित्त वर्ष 2007-08 से 2010-11	694.49	मांग अस्वीकृत की गई तथा स्थगन-अपील को मंजूरी दी गई
ख	वित्त वर्ष 2007-08 से 2010-11	1465.29	मांग अस्वीकृत की गई तथा स्थगन-अपील को मंजूरी दी गई
ग	वित्त वर्ष 2011-12	239.01	मांग अस्वीकृत की गई तथा स्थगन-अपील को मंजूरी दी गई
घ	वित्त वर्ष 2012-13	169.47	मांग अस्वीकृत की गई तथा स्थगन-अपील को मंजूरी दी गई
च	के.औ.सु. बल के तैनाती-प्रभार पर सेवाकर का भुगतान न किया जना	79.15	रू. 4.11 लाख, ब्याज सहित, का आंशिक भुगतान किया गया तथा तत्संबंधी आदेश प्रतीक्षित है। रू. 5.93 लाख की राशि तथा रू. 31.92 लाख का सेवाकर का भुगतान किया गया। सीईएसटीएटी में अपील दर्ज की गई।
	कुल	2647.41	

20) बोर्ड के अनमोदन के अनुसार रू. 1730 लाख की राशि भविष्य निधि निवेश से सामान्य निधि निवेश में अंतरित की गई, जिसमें तीन विभिन्न निष्क्रिय पी एस यू में निवेश से देय के लिए मूलधन के मद्दे रू. 823 लाख और ब्याज के मद्दे रू. 907 लाख शामिल है। कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा न्यायालय में दायर मामले के निष्कर्ष पर ही राशियों की वसूली निर्भर है। पोत-परिवहन मंत्रालय के निदेशों के अनुसार और बोर्ड के अनुमोदन से तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से पी आई सी यू पी के साथ समझौता/निपटान किया गया है। अंशदाताओं को रू.907 लाख की अंतरित ब्याज राशि का वितरण किया जा रहा है। एमपीएसआईडीसी के संबंध में, यह मामला जबलपुर उच्च न्यायालय में लंबित है तथा यूपीसीएसएमएल के सबंध में, गांधीधाम न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुजरात के उच्च न्यायालय, अहमदाबाद में याचिका दायर की गई है क्योंकि स्थानीय न्यायालय ने कंडला पोर्ट ट्रस्ट के दावे को खारिज कर दिया है। एमपीएसआईडीसी के संबंध में, रू.46 लाख की मूलधन राशि है और यूपीसीएसएमएल के सबंध में, रू.77 लाख की मूलधन राशि है।

21) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि में रू.260 लाख की राशि का अंशदान किया गया है और जिसे वित्त तथा विविध व्यय में प्रभारित किया गया है। गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सीएसआर पर किया गया व्यय क्रमशः रू. 21.32 लाख एवं रू. 143.58 लाख है।

22) आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पेंशन तथा उपदान निधि के लिए दो अलग न्यासों का गठन किया गया है। पेंशन न्यास और उपदान न्यास के लेखे इसके साथ संलग्न है।

23) चूंकि आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अतः आस्थगित कर-परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है।

24) The following demands of Income Tax are outstanding during the year :-

(Rs. in lakhs)

Sl.No.	Assessment Year	Demand Received	15% Demand Paid	Demand outstanding
1	2003-04	134.51	20.18	114.33
2	2011-12	1792.18	268.83	1523.35
3	2014-15	8490.00	1274.00	7216.00

Against the demand, appeals have been filed with the appropriate authorities.

The income tax refund of Rs. 2557.99 lakhs and Rs. 568.18 lakhs received during the year for A.Y. 2010-11 and A.Y. 2003-04 respectively.

25) As per the consistently adopted policy for recognizing wage revision arrears to employees, which is due w.e.f. 01/01/2017 will be booked on the report of settlement in the year in which the same is settled.

26) The details of BOT projects undertaken by the Port upto the reporting period is furnished as under:-

(Rs. In lakhs)

Sr.No.	Name of Party	Period of Lease	MGT	LF/(Royalty)		Status
				2016-17	2015-16	
a	M/s. RAS Infraport Pvt. Ltd(Cargo Berth No.13)	30 year w.e.f. 15.3.11	0.375 MMTPA	778.02 (1488.23)	552.80 (1495.67)	Commercial operation started on 18/02/2013
b	M/s. JRE Infraport Pvt. Ltd(Cargo Berth No.15)	30 year w.e.f. 27.9.11	0.375 MMTPA	778.02 (500.04)	552.80 (109.20)	Commercial operation started on 16/11/2013
c	M/s. Iffco Kisan Bazar & Logistics Ltd.(Barge Jetty)	30 years from 11.8.11	1.00 MMTPA	177.71 (20.72)	142.76 (34.53)	Commercial operation started on 16/11/2013
d	M/s. Adani Bulk Terminal Pvt. Ltd(Bulk Terminal at Tuna Tekra)	30 years from 19.12.12	3.50 MMTPA	3213.04 (3524.63)	910.64 (2265.17)	Commercial operation started on 10/02/2015
e	M/s. Kandla International Container Terminal	30 years from 12.09.16		478.68 (25.16)	0.00	Operation started from Feb.,17
F	M/s. Vadinar Liquid Terminal Limited	30 years from 16.04.15		1817.39	1031.77	Operation not yet starated.

27) The estimated amount of contracts remaining of the major projects to be executed on Capital account is Rs. 51855.64 lakhs.

24) वर्ष के दौरान आयकर संबंधी मांग निम्नानुसार बकाया है :-

(रू. लाख में)

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	प्राप्त मांग	15% प्रदत्त मांग	बकाया मांग
1	2003-04	134.51	20.18	114.33
2	2011-12	1792.18	268.83	1523.35
3	2014-15	8490.00	1274.00	7216.00

तत्संबंधी मांग के विरुद्ध उपयुक्त प्राधिकरणों के समक्ष अपील दर्ज की गई है।

निर्धारण वर्ष 2010-11 एवं निर्धारण वर्ष 2003-04 के दौरान क्रमशः रू. 2557.99 लाख तथा रू. 568.18 लाख की राशि आयकर संबंधी प्रतिदाय के रूप में प्राप्त हुई।

25) कर्मचारियों के वेतन समझौता के बकाया, जो दिनांक 01/01/2017 से देय है, को स्वीकृत करने हेतु निरंतर अपनाई गई नीति के अनुसार उस वर्ष की लेखाओं में समझौता से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया जाएगा जिस वर्ष यह समझौता होगा।

26) रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक पोर्ट द्वारा प्रारंभ की गई बीओटी परियोजना का विवरण निम्नवत् है :--

(रू. लाख में)

क्र.स	पक्षकार का नाम	पट्टा-अवधि	एमजीटी	एलएफ/(रॉयल्टी)		स्थिति
				2016-17	2015-16	
क	मैसर्स आरएएस इन्फ्रापोर्ट प्रा. लि.(नौभार घाट सं.13)	दिनांक 15.3.11 से 30 वर्ष	0.375 एमएमटीपीए	778.02 (1488.23)	552.80 (1495.67)	दिनांक 18/02/2013 को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हुआ।
ख	मैसर्स. जेआरई इन्फ्रापोर्ट प्रा. लि.(नौभार घाट सं.15)	दिनांक 27.9.11 से 30 वर्ष	0.375 एमएमटीपीए	778.02 (500.04)	552.80 (109.20)	दिनांक 16/11/2013 को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हुआ।
ग	मैसर्स. इफ्को किसान बाजार तथा लॉजिस्टिक लि.(बार्ज जेटी)	दिनांक 11.8.11 से 30 वर्ष	1.00 एमएमटीपीए	177.71 (20.72)	142.76 (34.53)	दिनांक 16/11/2013 को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हुआ।
छ	मैसर्स. अदाणी बल्क टर्मिनल प्रा. लि.(तूणा टेकरा में बल्क टर्मिनल)	दिनांक 19.12.12 से 30 वर्ष	3.50 एमएमटीपीए	3213.04 (3524.63)	910.64 (2265.17)	दिनांक 10/02/2015 को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हुआ।
च	मैसर्स. कंडला इन्टरनेशनल कंटेनर टर्मिनल	दिनांक 12.09.16से 30 वर्ष		478.68 (25.16)	0.00	फरवरी ,17 को प्रचालन प्रारंभ हुआ।
ज	मैसर्स वाडीनार लिक्विड टर्मिनल लि.	दिनांक 16.04.15 से 30 वर्ष		1817.39	1031.77	अब तक प्रचालन प्रारंभ नहीं हुआ है।

27) पूंजीगत लेखा पर क्रियान्वित किए जानेवाली मुख्य परियोजनाओं से संबंधित शेष बची संविदाओं की प्राक्कलित राशि रू. 51855.64 लाख है।

KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2016-17

2015-16	RECEIPT	2016-17	2015-16	PAYMENT	2016-17
	Opening balance:				
140576031	Cash in bank	90521717	2619	Bank charges	6795
			937895918	Payment of pension	894275767
9315952271	Investment in LIC	10318117718	9351000	TDS deposited KPTSS	16225071
				Income Tax Payment Adj. by LIC	
836705719	Interest earned	854113351	10244376	Pro-rata Contribution	3924449
110017084	Reimb from LIC	144454431		Loan paid to KPTEGF	70000000
29011248	Reimb from SBI Life	24255235		Outstanding paid to KPT	10916
2059528	Pension recd. Back	1906553		Purchase of Annuity	2407288481
8760467	Pro-rata Pension recd	4803635		Investment in LIC	9735786184
	Loan received from KPTEGF	70025000		Total mistake of 2012-13	200000
923051000	Contribution from KPT	1698002476		Amount paid behalf of KPTEGF adjusted	459953
	Transfer from KPTEGF	459953		Closing balance:	
	Difference in Op.Balance adjusted	78959	90521717	Cash with Corporation	860612
			10318117718	Cash with SBI	77700800
11366133348		13206739028	11366133348		13206739028

KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
BALANCE SHEET AS ON 31.3.2017

2015-16	LIABILITY	2016-17 IN RS.	2015-16	ASSET	2016-17 IN RS.
12072864805	Superannuation fund	13834588605		Investment:	
			1238241636	Annuity from LIC	3645530117
	Temp. advance from Gratuity	25000	277799294	Less: Annuity written off	-59681087
			10318117718	Annuity from SBI Life	277799294
				Less: Annuity written off	-7791826
				LIC	9735786184
			148184440	Income Tax :-	
			90521717	F.Y. 2013-14	16225071
				F.Y. 2012-13	9351000
				F.Y. 2011-12	53481430
				F.Y. 2010-11	37827520
				F.Y. 2009-10	21095290
				F.Y. 2008-09	14226920
				F.Y. 2007-08	6576500
				F.Y. 2006-07	5625780
				Cash with Corporation	860612
				Cash with SBI	77700800
12072864805	TOTAL	13834613605	12072864805	TOTAL	13834613605

NOTE:

1. Cash basis of accounting is followed in the preparation of financial statements of superannuation fund.
2. Based on actuarial valuation contribution to superannuation fund is made.
3. Payment of gratuity paid from superannuation is treated as loan which has already been recouped.
4. Totaling mistake of Rs. 2.00 lakhs is noticed in the year which has been rectified during the year.
5. The difference in opening balance of Rs. 0.79 lakhs has been adjusted during current year.

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना

वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

	अथ शेष		2619	बैंक प्रभार	6794.7
140576031	बैंक में नकद	90521717	937895918	पेंशन का भुगतान	894275767
			9351000	केपीटीएसएस जमा टीडीएस	16225071
9315952271	जीवन बीमा निगम में निवेश	10318117718		भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समायोजित	
				आयकर का भुगतान	
836705719	अर्जित आय	854113351	10244376	यथानुपाती अंशदान	3924449
110017084	जीवन बीमा निगम से प्रतिपूर्ति	144454431		केपीटीईजीएफ को अदा किया गया ऋ	70000000
29011248	एसबीआई लाईफ से प्रतिपूर्ति	24255235		केपीटी को अदा किया गया बकाया	10916
2059528	प्राप्त पेंशन	1906553		वार्षिकी का क्रय	2407288481
8760467	यथानुपात प्राप्त पेंशन	4803635		जीवन बीमा निगम में निवेश	9735786184
	केपीटीईजीएफ से प्राप्त ऋण	70025000		2012-13 की कुल चूक	200000
923051000	कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अंशदान	1698002476		केपीटीईजीएफ की ओर से	459953
				अदा की गई राशि-समायोजित	
	केपीटीईजीएफ से अन्तरण	459953		इतिशेष:	
	समायाजित अथशेष में अंतर	78959	90521717	कार्पोरेशन में नकद	860612
			10318117718	एसबीआई में नकद	77700799.84
11366133348		13206739028	11366133348		13206739028

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना

31.3.2017 को तुलनपत्र

2015-16	देयता	2016-17 रूपये में	2015-16	परिसंपत्तियां	2016-17 रूपये में
12072864805	अधिवर्षिता निधि	13834588605		निवेश :	
			1238241636	जीवन बीमा निगम से वार्षिकी	3645530117
	उपदान से अस्थायी अग्रिम	25000	277799294	घटाएं: बट्टे खाते में डाली गई वार्षिकी	-59681087
			10318117718	एसबीआई लाइफ से वार्षिकी	277799294
				घटाएं: बट्टे खाते में डाली गई वार्षिकी	-7791826
				जीवन बीमा निगम	9735786184
			148184440	आयकर :-	
			90521717	वित्तीय वर्ष 2013-14	16225071
				वित्तीय वर्ष 2012-13	9351000
				वित्तीय वर्ष 2011-12	53481430
				वित्तीय वर्ष 2010-11	37827520
				वित्तीय वर्ष 2009-10	21095290
				वित्तीय वर्ष 2008-09	14226920
				वित्तीय वर्ष 2007-08	6576500
				वित्तीय वर्ष 2006-07	5625780
				कार्पोरेशन में नकद	860612
				एसबीआई में नकद	77700799.73
12072864805	कुल	13834613605	12072864805	कुल	13834613605

टिप्पणी:

1. अधिवार्षिता निधि से संबंधित वित्तीय विवरण तैयार करने में नकद आधार लेखाविधि अपनाई जाती है।
2. बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर अधिवार्षिता निधि में अंशदान किया जाता है।
3. अधिवार्षिता से प्रदत्त उपदान की अदायगी को बतौर ऋण माना जाता है, जिसकी पूर्ति कर ली गई है।
4. इस वर्ष योग में रू 2 लाख की गलती को वर्ष के दौरान शोधित कर लिया गया है।

KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND
RECEIPT & PAYMENT STATEMENT FOR THE YEAR 2016-17

2015-16	RECEIPT	2016-17	2015-16	PAYMENT	2016-17
	Opening balance:				
146222986	Cash in bank	102916209	187871854	Gratuity payment	152748606
1426634385	Investment with LIC	1525361429	900	Bank charges	100
128084085	Interest earned	130380988	4311901	Annual Premium	4139144
71147212	Reimburse from LIC	192950622	71147212	Cont. Fund to LIC	192950622
173240	LC premium from LIC	7576097	7227340	Reimbursement to KPT	5170753
3029655	Pro-rata receipt	2038817		Trans. gratuity to KPTSS	459953
	Gratuity received back	266511	3817696	Pro-rata Payment	1142017
7227340	Recoveries	5170753	50000000	Loan to KPTSS	70025000
120000000	Contributiion from KPT	120000000		Closing balance:	
135638	Refund of excess Gratuity		102916209	Cash in bank	270405028
50000000	Refund of Loan from KPTSS	70000000	1525361429	Investment	1460210197
	Difference of previous year adjusted	589994			
1952654541		2157251420	1952654541		2157251420

KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND
BALANCE SHEET AS AT 31.3.2017

2015-16 IN RS.	LIABILITY	2016-17 IN RS.	2015-16 IN RS.	ASSET	2016-17 IN RS.
1616979808	Gratuity fund	1719342395		Investment:	
			1525361429	LIC	1460210197
	Creditors:				
11297830	KPT	11297830		Temp. advance to KPTSS	25000
			102916209	Cash in bank	270405028
1628277638	TOTAL	1730640225	1628277638	TOTAL	1730640225

NOTE:

1. Cash basis of accounting is followed in the preparation of financial statement of Gratuity fund.
2. Based on actuarial valuation contribution to Gratuity fund is made.
3. Payment of gratuity paid from superannuation is treated as loan which has already been recouped.
4. The difference in opening balance of Rs. 5.90 lakhs has been adjusted during current year.

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि

वर्ष 2016-17 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

2015-16	प्राप्ति	2016-17	2015-16	भुगतान	2016-17
	अथ शेष		187871854	उपदान भुगतान	152748606
146222986	बैंक में नकद	102916209	900	बैंक प्रभार	100
1426634385	जीवन बीमा निगम में निवश	1525361429	4311901	वार्षिक प्रीमियम	4139144
128084085	अर्जित ब्याज	130380988			
71147212	जीवन बीमा निगम से प्रतिपूर्ति	192950622	71147212	जीवन बीमा निगम को अंशदायी निधि	192950622
173240	जीवन बीमा निगम से एलसी प्री	7576097	7227340	केपीटी को प्रतिपूर्ति	5170753
3029655	यथानुपात प्राप्तियां	2038817		केपीटीएसएस में उपदान अंतरण	459953
	प्राप्त उपदान	266511	3817696	यथानुपाती भुगतान	1142017
7227340	वसूलियां	5170753	50000000	केपीटीएसएस को ऋण	70025000
120000000	कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अंशदान	120000000		इतिशेष :	
135638	अतिरिक्त उपदान की वापसी		102916209	बैंक में नकद	270405028
50000000	केपीटीएसएस से ऋण की वाप	70000000	1525361429	जीवन बीमा निगम में निवेश	1460210197
	गतवर्ष के अंतर का समायोजन	589994			
1952654541		2157251420	1952654541		2157251420

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि

31.3.2017 को तुलनपत्र

2015-16 रूपये में	देयता	2016-17 रूपये में	2015-16 रूपये में	परिसंपत्ति	2016-17 रूपये में
1616979808	उपदान निधि	1719342395		निवेश	
			1525361429	जीवन बीमा निगम	1460210197
	लेनदार :				
11297830	कंडला पोर्ट ट्रस्ट	11297830		केपीटीएसएस को अस्थायी अग्रिम	25000
			102916209	बैंक में नकद	270405028.4
1628277638	कुल	1730640225	1628277638	कुल	1730640225

टिप्पणी:

1. उपदान निधि से संबंधित वित्तीय विवरण तैयार करने में नकद आधार लेखाविधि अपनाई जाती है।
2. बीमाकिंक मूल्यांकन के आधार पर उपदान निधि में अंशदान किया जाता है।
3. अधिवार्षिता से प्रदत्त उपदान की अदायगी को बतौर ऋण माना जाता है, जिसकी पूर्ति कर ली गई है।
4. रू.5.90 लाख के अथशेष के अंतर को चालू वर्ष के दौरान समायोजित कर लिया गया है।

DEENDAYAL PORT TRUST

(Erstwhile Kandla Port Trust)

ANNUAL ACCOUNTS & SEPARATE AUDIT REPORT THEREON FOR THE YEAR 2016-17 WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDITOBSERVTIONS CONTAINED IN THE REPORT

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

(भूतपूर्व कंडला पोर्ट ट्रस्ट)

वर्ष 2016-17 का वार्षिक
लेखा तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट और
तत्संबंधी कार्रवाई से संबंधित टिप्पणिया

DEENDAYAL PORT TRUST

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Kandla Port Trust for the year ended 31 March 2017

Audit Observation	Action Taken Notes
We have audited the attached Balance Sheet of the Kandla Port Trust (KPT) as at 31 March 2017 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 102(2) of the Major Port Trusts Act, 1963. These financial statements are the responsibility of the Port's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	Factual position and hence, no comments.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.	
Based on our audit, we report that:	
(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;	
(ii) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustee under Section 102(1) of the Major Port Trusts Act, 1963;	
(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the KPT as required under Section 102(1) of the Major Port Trusts Act, 1963 in so far as it appears from our examination of such books.	
(iv) We further report that:	

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखे से संबंधित भारत सरकार के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणी
महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102(2)के साथ पठित नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन हमने 31 मार्च 2017 को के अनुसार कंडला पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) के संलग्न तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ तथा हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व पोर्ट के प्रबंधतंत्र पर है । हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय प्रकट करना है ।	वास्तविक स्थिति है अतः कोई टिप्पणी नहीं हैं।
2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धति की समनुरूपता, लेखाकरण मानक तथा प्रकटन प्रतिमानों आदि से संबंधित लेखाकरण अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक(कैग) की टिप्पणियाँ हैं । विधि, नियम तथा विनियम (उपयुक्तता तथा नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता सह निष्पादन पहलुओं आदि से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों तो, निरीक्षण रिपोर्ट /कैग के लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं ।	
3. हमने साधारणतया भारत मे स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है । इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम ऐसी योजना बनाते हुए लेखा परीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथन से मुक्त है अथवा नहीं । किसी भी लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर राशि को समर्थन देने वाले साक्ष्यों का परीक्षण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन निहित हैं । एक लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्याकन भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय	
अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :	
(i) हमने वे सभी आवश्यक सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जिनकी हमें सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यकता थी;	
(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा महा पत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 102 (1) के अधीन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं ।	
हमारी राय में कंडला पोर्ट ट्रस्ट, द्वारा महा पत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 102(1) के अधीन यथाअपेक्षित समुचित लेखा बहियों तथा अन्य संबद्ध अभिलेखों का रख-रखाव किया गया है ,जैसा कि हमारे द्वारा उक्त बहियों का परीक्षण करने पर पाया गया ।	
(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :	

Audit Observation	Port's Reply
A. Balance Sheet	
Fixed Capital Assets	
Capital Work-in-Progress - Rs.329.51 crore	
The Capital Work-in-Progress includes:	
(i) Rs.11.33 crore being the value of 23 works, which were completed and put to use before 31 March 2017 but not capitalized. This has resulted in overstatement of Capital Work-in-Progress by Rs.11.33 crore and understatement of Fixed Assets by Rs.10.55 crore, understatement Depreciation and overstatement of profit by Rs.0.78 crore (In this connection a reference is invited to Comment No. A.1.1 of Separate Audit Report on the accounts of KPT for the year 2015-16.)	After completion of the work, the final bill is sent to the Design Section for verification and in many case the file is submitted to the competent authority for extension of completion period also, and thereafter the final bill is processed for payment and after making the payment, the file is submitted to the Competent Authority for fixation of life & scrap value of the assets and on approval of fixing of life, the same is transferred to final asset head. As per present Delegation of Power, the power to fix the life of the asset is given to Board. However, the arrears depreciation is charged at the time of transfer of assets as per the practice in vogue, which can be seen in Schedule 3 of Balance Sheet for the year 2016-17, that arrears depreciation of 10.14 crores charged.
(ii) An amount of Rs.0.58 crore was spent for construction of Sewage Treatment Plant at Vadinar Unit and the trial run was conducted in October 2007. However, the Plant was not completed due to dispute with the contractor. KPT should have assessed the extent of impairment of Opening Capital Work-in-Progress. (In the absence of such an assessment by the management, audit is unable to comment on the extent of impairment and its impact on the financial statements.)	It is to submit that the work of "Construction of Sewage Treatment Plant at Vadinar Unit" was awarded to party M/s. UPL Environmental Engineers Ltd. Vadodara (formerly known as Associated Environmental Engineers Pvt. Ltd.) and due to some technical disputes, party left the work before completion and action is in hand to resciend the work and to issue fresh work for left out work. After completion of fresh work, the amount will be adjusted in the accounts.
A.2 Investments	
Bonds in other PSUs / Long Term Deposits – Rs.34.92	In the case of MPSIDC, the Company Law Board, Mumbai, passed an order in June, 2011 in favour of KPT to pay the principal amount along with interest. Since, the MPSIDC has not honoured the order petition is filed in the Hon'ble Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. The Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur vide interim order, ordered to pay 40% of principal amount to MPSIDC. Accordingly, 40% received in financial year 2015-16 from MPSIDC. In the case of UPCSMFL, Local Court has dismissed the claim of Kandla Port Trust and therefore as per the opinion of the Port advocate, an appeal is filed in the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad to recover the amount along with interest. The KPT appeal has been admitted.
This includes interest accrued on investment amounting to Rs.1.87 crore on investments with Uttar Pradesh Co-operative Spinning Mills Federation Limited (January 1999) and with Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation (January 2000). Though the investments matured in January 2004 and January 2005, due to poor financial condition, Uttar Pradesh Co-operative Spinning Mills Federation Limited and Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation did not pay interest amounting to Rs.1.87 crore. This has resulted in overstatement of Investment and profit by Rs.1.87 crore. (In this connection a reference is invited to Comment No. A.2.3 of Separate Audit Report on the accounts of KPT for the year 2015-16.)	

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	पोर्ट का उत्तर
क. तुलनपत्र	
स्थायी परिसंपत्तियां	
चालू पूंजीगत कार्य (अनुसूची 3) - रू.329.51 करोड़	
चालू पूंजीगत कार्य में निम्नलिखित शामिल है:	
(i) (i) रु.11.33 करोड़ की लागत वाले 23 कार्य दिनांक 31 मार्च, 2017 से पहले पूरे कर लिए गए और उपयोग हेतु प्रस्तुत किए गए, परंतु पूंजीकृत नहीं किए गए । इसके परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्यों में रु.11.33 करोड़ की अत्युक्ति हुई और स्थायी परिसंपत्तियों में रु.10.55 की न्यूनोक्ति हुई । मूल्यह्रास में न्यूनोक्ति तथा लाभ में रु.0.78 करोड़ की अत्युक्ति हुई । (इस संदर्भ में वर्ष 2015-16 के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट के लेखों पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. क.1.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है)	कार्य पूरा होने के उपरांत अंतिम बिल सत्यापन हेतु अभिकल्प अनुभाग को भेजा जाता है और बहुत से मामलों में कार्य समापन अवधि में विस्तार के लिए भी मिसिल सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाती है और उसके बाद अंतिम बिल के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती हैं और भुगतान करने के बाद परिसंपत्तियों के उपयोगकाल और स्क्रैप मूल्य के निर्धारण के मिसिल सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाती है और उपयोगकाल के लिए निर्धारण के अनुमोदन के पश्चात उसे अंतिम परिसंपत्ति शीर्ष में अंतरित कर दिया जाता है । वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगकाल के निर्धारण की शक्ति बोर्ड को दी गई है। तथापि प्रचलित अभ्यास के अनुसार परिसंपत्तियों के अंतरण के समय बकाया मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, जैसाकि वर्ष 2016-17 के तुलनपत्र की अनुसूची 3 में देखा जा सकता है कि 10.14 करोड़ का बकाया मूल्यह्रास प्रभारित किया गया
(ii) (ii) वाडीनार इकाई में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र के निर्माण हेतु रु.0.58 करोड़ की राशि का व्यय किया गया और अक्तूबर, 2007 में इसको प्रायोगिक तौर पर चलाया गया । तथापि, ठेकेदार के साथ विवाद होने के कारण इस संयंत्र को संपन्न नहीं किया जा सका। कंडला पोर्ट ट्रस्ट को चालू पूंजीगत कार्य से संबंधित नुकसान की सीमा का आकलन किया जाना चाहिए था । (प्रबंधन वर्ग द्वारा ऐसे आकलन के अभाव में लेखा परीक्षा तत्संबंधी नुकसान की सीमा एवं वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है)	यह बताया जाता है कि "वाडीनार इकाई में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र के निर्माण " का कार्य मेसर्स यूपीएल इनवायरनमेंटल इंजीनियर्स लिमिटेड, वडोदरा (जो पहले एसोसिएटेड इनवायरनमेंटल इंजीनियर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को सौंपा गया तथा कुछ तकनीकी विवादों के कारण , पक्षकार ने इस कार्य को समापन से पूर्व छोड़ दिया और इस कार्य को रद्द करने तथा शेष बचे कार्य को पूरा करने के लिए नया कार्यादेश जारी करने का कार्य हाथ में लिया गया है । उक्त नए कार्य के समापन के पश्चात् तत्संबंधी राशि को लेखे में समायोजित किया जाएगा ।
क.2 निवेश	
अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में बंध पत्र/दीर्घावधि जमा - रू. करोड़	
इसमें उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल फेडरेशन लिमिटेड (जनवरी 1999) और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (जनवरी 2000) में रू.1.87 करोड़ की राशि के निवेश पर प्रौद्भूत ब्याज शामिल है। यद्यपि जनवरी 2004 और जनवरी 2005 में ये निवेश परिपक्व हो गए थे, परंतु कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल फेडरेशन लिमिटेड और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने रू.1.87 करोड़ की ब्याज-राशि का भुगतान नही किया । इसके परिणाम स्वरूप निवेश और लाभ में रू. 1.87 करोड़ की अत्युक्ति हुई है। (इस संदर्भ में वर्ष 2015-16 के लिए कंछला पोर्ट ट्रस्ट के लेखों पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. क.1.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है)	एमपीएसआईडीसी के मामलें में कंपनी लॉ बोर्ड मुंबई ने कंडला पोर्ट ट्रस्ट के पक्ष में मूल राशि और उस पर देय ब्याज भुगतान किए जाने का आदेश दिया है। चूंकि एमपीएसआईडीसी ने आदेश का पालन नहीं किया है, अत: माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर में याचिका दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ने अंतरिम आदेश द्वारा मूल राशि का 40% एमपीएसआईडीसी को भुगतान किए जाने का आदेश दिया । तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में एमपीएसआईडीसी से 40% राशि प्राप्त हुई है। यूपीसीएसएमएफएल के मामलें में कंडला पोर्ट ट्रस्ट के दावे को स्थानीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है अत: पोर्ट अधिवक्ता की रॉय के अनुसार ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय गुजरात, अहमदाबाद में एक अपील दायर की गई है।

Audit Observation	Port's Reply
	As per Swap Mechanism, interest has been shown as accrued one-time upto the date of Swap as per opinion of our Tax Auditor and is appearing in the Asset. It's not affecting P&L A/c every year and thus no impact on the profit position. The necessary effect will be recognised in the accounts after finalisation of court case. Hence, it is not overstated.
A.3 Current Assets (Schedule 5): Rs.1501.80 crore	
A.3.1 Sundry Debtors - Rs 327.60 crore (Schedule 5)	
(i) As per the Common Framework of Financial Reporting for Ports, a provision for bad and doubtful debts should be created and deducted from Sundry Debtors. The Port Trust has not framed a policy and no amount of debtors has been designated as bad or doubtful. Audit is unable to comment on the correctness of the amount of Sundry Debtors and impact on Profit and Loss Account.	As per Ministry of Shipping letter dated 6/11/2002, which is also vetted by CAG, no debt should be considered as bad irrespective of any time limits and hence provision is not justified though the debtors are very old. The same has also been disclosed at B.(2) of Notes on Accounts. However, the matter is taken up with Ministry of Shipping and Indian Port Association to frame a policy vide this office letter dated 22/8/2017 (**Annexure- A**). On framing the policy, the same will be implemented. However, outstanding dues are reviewed closely in review meeting regularly.
(ii) This does not include Rs.28.15 crore (Rs.24.90 crore relating to M/s. RAS Infraport Private Limited and Rs.3.25 crore relating to M/s. JRE Infra Private Limited) being interest for delayed payment of royalty. As per the Concession Agreements entered into with M/s. RAS Infraport Private Limited (3 December 2009) and M/s. JRE Infra Private Limited (18 February 2011), royalty for each month shall be paid on or before seventh day of immediately succeeding month and if, royalty amount remaining unpaid in respective due date would carry interest at SBI PLR plus two per cent per annum from the due date till the date of payment or realization thereof. However, the Port has not accounted interest for delayed payment of royalty. This has resulted in understatement of Sundry Debtors and profit by Rs.28.15 crore.	As per the consistent policy, all the interest chargeable on penalties, delayed payments and defaults are booked on receipt basis, as there are the uncertainities embodied in such type of claims. The due disclosure will be made in revenue recognition head from the current year onwards. The audit point noted for future compliance.
(iii) This does not include Rs.7.63 crore due from M/s. Vadinar Liquid Terminal Limited towards License Fee and Water Front Fee for the period from 16 April 2015 to 15 April 2016. This has also resulted in understatement of prior period income for the year by Rs.7.63 crore. This has resulted in understatement of Sundry Debtors and profit by Rs.7.63 crore. (In this connection a reference is invited to Comment No.B.3.1 of Separate Audit Report on the accounts of KPT for the year 2015-16.)	This will be booked during current year.

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	पोर्ट का उत्तर
	अदला-बदली प्रक्रिया के अनुसार कर लेखापरीक्षक की सम्मति से तत्संबंधी कर को अदला-बदली प्रक्रिया की तारीख तक एक बार प्रौद्भूत के रूप में दर्शाया गया है और यह परिसंपत्तियों में प्रदर्शित है । प्रत्येक वर्ष यह लाभ-हानि लेखे को प्रभावित नहीं करता है और इसलिए लाभ की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं है। न्यायालयीन मामले के अंतिम निर्णय के पश्चात् लेखों में आवश्यक प्रभाव स्वीकृत कर लिए जाएंगे । अत: यह अत्युक्ति नहीं है।
क.3 चालू परिसंपत्तियां (अनुसूची 5): रु.1501.80 करेड़	
क.3.1 विविध देनदार - रु. 327.60 करोड़ (अनुसूची 5)	
(i) पत्तनों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे के अनुसार अशोध्य एवं संदिग्ध कर्जों के लिए एक प्रावधान बनाकर एवं विविध देनदारों से तत्संबंधी कटौती की जानी चाहिए। पोर्ट ट्रस्ट ने कोई नीति नहीं बनाई है और अशोध्य एवं संदिग्ध कर्जों के रूप में किसी भी देनदार को नामित नहीं किया है । लेखा परीक्षा विविध देनदारों के राशि की विशुद्धता एवं लाभ तथा हानि के प्रभाव पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है ।	पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र दिनांक 6/11/2002,के अनुसार, सीएजी द्वारा जिसकी जांच की जाती है, किसी समय सीमा पर ध्यान दिए बिना कोई भी ऋण अशोध्य ऋण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यद्यपि देनदार काफी पुराने हैं , अत: यह प्रावधान तर्कसगत नहीं है । लेखा टिप्पणियो के क-(2) में भी इसका खुलासा किया गया है । तथापि, इस मामले को पोत परिवहन मंत्रालय और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, कृपया इस कार्यालय का दिनांक 22/8/2017 (अनुलग्नक- क) का पत्र देखें । तत्संबंधी नीति बनाए जाने पर इसे कार्यान्वित किया जाएगा । तथापि समीक्षा बैठक में बकाया देयों की समीक्षा नियमित रूप से बारीकी से की जाती है ।
(ii) इसमें रॉयल्टी के विलंबित संदाय हेतु ब्याज की राशि रु.28.15 करोड़ (मेसर्स रॉस इन्फ्रापोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का रु.24.90 करोड़ तथा मेसर्स जेआरई इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड का रु. 3.25 करोड़) शामिल नहीं है । मेसर्स रॉस इन्फ्रापोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (3 दिसम्बर 2009)तथा मेसर्स जेआरई इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड (18 फरवरी 2011) के साथ यह रियायत करार किया गया कि प्रत्येक माह की रॉयल्टी तुरंत बाद आने वाली अनुवर्ती माह के सातवें दिन अथवा उससे पहले जमा करनी होगी और यदि देय तारीख पर रॉयल्टी की राशि अदत्त रही तो देय तारीख से संदाय की तारीख तक एसबीआई पीएलआर संबंधी ब्याज के साथ-साथ दो प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा । तथापि, पोर्ट ने रॉयल्टी की विलंबित संदाय हेतु ब्याज को लेखाकृत नहीं किया है । इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों और लाभ में रु.28.15 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है ।	सुसंगत नीति के अनुसार, शास्तियों पर प्रभारयोग्य सभी ब्याज, बिलंबित संदाय तथा चूक को प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जाता है क्योंकि इस प्रकार के दावों पर अनिश्चितता बनी रहती है । चालू वर्ष तथा उसके बाद से राजस्व पहचान संबंधी शीर्ष में तत्संबंधी देय का खुलासा कर दिया जाएगा । लेखा परीक्षा की इस बिन्दु को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है ।
(iii) इसमें मेसर्स वाडीनार तरल टर्मिनल लिमिटेड से दिनांक 16 अप्रैल 2015 से 15 अप्रैल 2016 तक की अवधि हेतु देय अनुज्ञप्ति शुल्क एवं वाटर फ्रंट शुल्क के मद्दे बकाया रु. 7.63 करोड़ की राशि शामिल नहीं है । इसके परिणामस्वरूप वर्ष की पूर्वावधि आय में भी रु.7.63 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई । इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों और लाभ में रु.7.63 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है । (इस संदर्भ में वर्ष 2015-16 के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट के लेखों पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. ख.3.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है)	इसे चालू वर्ष के दौरान दर्ज कर दिया जाएगा ।

Audit Observation	Port's Reply
(iv) The above does not include Rs.1.86 crore on account of Royalty, Wharfage, Tug hire charges, Pilotage, Anchorage charges, Berthing dues etc. relating to Vadinar Division, for the period upto March 2017. This has resulted in understatement of Sundry Debtors and profit by Rs.1.86 crore.	The income will be booked during current year and due care will be taken to recognise the income on its accrual.
A.3.2 Inventories - Rs.1.74 crore (Schedule 5)	
As per the Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, the Port was required to make a policy for the depreciation of slow / non-moving items of inventory. Port has not adopted any policy for depreciation of slow/non-moving items of inventory. In the absence of adoption of such policy and assessment of inventory by the port, audit is unable to comment on the correctness of value of inventory and the consequent impact on the Profit.	It is to clarify that KPT has an established system of identifying spares which are not specific to a particular item of fixed asset but can be used generally for different items of fixed assets and charging the same to revenue in the year of consumption, which is in line with AS 2. Since, the spares as purchased and taken in the inventory is not for specific assets, no depreciation policy has been adopted by the Port on the stores items. As Regards non-moving items, the same are carried at cost and common framework does not provide for charging of depreciation on non-moving items. The matter refeered to IPA to frame a uniform policy.
B Profit and Loss Account	
Income - Rs. 1383.14 crore	
B.1 Royalty Income from BOT – Rs.126.39 crore (Schedule I)	The accounting treatment as regards to recognition of income of PPP projects in Annual Accounts of KPT is being done consistently as per the terms and conditions enumerated in the agreement with PPP operators and revenue share as offered by them. In accordance with the provisions of agreement, L.F. & Water front charges are recognised as per the agreement and revenue share is accounted for based on the report of traffic handled. As per Article 9.4 of the Concession agreement, it is at the option of the Concession Authority to appoint Chartered accountant to conduct special audit of the gross revenue and the financial statements, documents and supporting evidences.
Income includes Royalty of Rs.126.39 crore from six BOT Operators viz. M/s. Essar Limited (ESSAR), M/s. Adani Kandla Bulk Terminal Private Limited (AKBTPL), M/s. RAS Infra Port Private Limited (RIPPL), M/s. JRE Infra Private Limited (JIPL), M/s. Kandla International Container Terminal Private Limited (KICTPL) and M/s. IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL).	
As per the License Agreements (except M/s. ESSAR), the Concessionaire has to submit to the Port, a financial statement of the Gross Revenue for every six monthly period ending 30 September and 31 March every year, duly certified by its Statutory Auditors. The certificate must be furnished within 30 days of the end of such period. The License Agreements also provide that the Port shall have the option to appoint another firm of Chartered Accounts to conduct a special audit of the Gross Revenue, at its own cost.	
KPT appointed independent auditors for certifying Gross Revenue in respect of three BOT operators (AKBTPL, RIPPL and JIPL) for the period upto March 2017. The Independent Auditor stated that in case of AKBTPL, the certificate from the Statutory Auditors on the half yearly statement of Gross Revenue (for the period ending 31 March 2017) has not been furnished to them.	Independent Auditor in respect of AKBTPL, RIPL and JIPL were appointed and audit report for the period upto 31st March 2017 has been submitted and subsequently submitted to Audit.

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	पोर्ट का उत्तर
(iv) उपरोक्त में वाडीनार प्रभाग से संबंधित मार्च 2017 तक की अवधि के लिए रॉयल्टी, गोदी शुल्क, कर्षनौका किराया प्रभार, पोतचालन प्रभार, लंगर संबंधी प्रभार, घाट-शुल्क आदि शामिल नहीं है । इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों और लाभ में रु.1.86 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है ।	यह आय चालू वर्ष के दौरान दर्ज की जाएगी और इसके प्रौद्भवन पर आय की पहचान करने के लिए समुचित सावधानी बरती जाएगी ।
क.3.2 वस्त-सची - रू.1.74 करोड़ (अनसची 5)	
महापत्तनों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे के अनुसार , पोर्ट से वस्तु-सूची की धीमी/अचल मदों के मूल्यह्रास हेतु एक नीति बनाने की अपेक्षा थी। पोर्ट ने वस्तु-सूची की धीमी/अचल मदों के मूल्यह्रास हेतु कोई नीति नहीं अपनाई है । पोर्ट द्वारा ऐसी नीति के अभिग्रहण एवं वस्तु-सूची के मूल्यांकन की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा वस्तु-सूची के मूल्य तथा लाभ पर होनेवाले परिणामी प्रभाव की विशुद्धता पर टिप्पणी देने में असमर्थ है ।	यह स्पष्ट किया जाता है कि कंडला पोर्ट ट्रस्ट में अतिरिक्त पुर्जों की पहचान करने के लिए एक स्थापित प्रणाली है, जो स्थायी परिसंपत्तियों की किसी खास मद के लिए विशिष्ट नहीं है परंतु सामान्यत: स्थायी परिसंपत्तियों की विविध मदों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है तथा एएस-2 के समरूप उपभोग किए जानेवाले वर्ष में प्रभारित किया जाता है । चूंकि खरीदे एवं वस्तु-सूची में रखे गए पुर्जे किसी विशिष्ट परिसंपत्तियों के लिए नहीं हैं, अत: भंडार मदों पर पोर्ट द्वारा कोई मूल्यह्रास नीति नहीं अपनाई गई है । अचल मदों के संबंध में , इन्हें लागत एवं सामान्य ढांचों में रखा जाता है और अचल मदों पर मूल्यह्रास हेतु प्रभारित करने का प्रावधान नहीं है । एक समान नीति बनाने के लिए आईपीए को यह मामला संदर्भित किया गया है।
ख. लाभ और हानि लेखा	
आय - रू. 1383.14 करोड़	
ख.1 बीओटी से रॉयल्टी आय - रू.126.39 करोड़ (अनुसूची I)	कंडला पोर्ट ट्रस्ट के वार्षिक लेखे में पीपीपी परियोजनाओं की आय के स्वीकरण के संबंध में पीपीपी प्रचालकों के साथ हुए करार में उल्लखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार एवं उनके द्वारा यथा प्रस्तुत राजस्व-अंश का लेखा प्रशोधन निरंतर किया जा रहा है । करार के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञप्ति शुल्क एवं बंदरगाह प्रभारों को करार के अनुसार स्वीकृत किया जाता है तथा राजस्व-अंश को संभाले गए यातायात संबंधी रिपोर्ट के आधार पर लेखित किया जाता है । रियायत करार के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार सकल राजस्व की विशेष लेखा परीक्षा का संचालन तथा वित्तीय विवरण दस्तावेजों एवं सहायक साक्ष्यें का संचालन करने हेतु सनदी लेखापाल की नियुक्त करने का विकल्प रियायत प्राधिकारी के पास रहता है ।
आय में छह बीओटी प्रचालकों अर्थात् मेसर्स एस्सार (एस्सार), मेसर्स अदानी कंडला बल्क टर्मिनल प्राईवेट लिमिटैड (एकेबीटीपीएल), मेसर्स रॉस इन्फ्रा पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (आरआईपीपीएल), मेसर्स जेआरई इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड (जेआईपीएल), मेसर्स कंडला इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड (केआईसीटीपीएल) तथा इफको किसान बाजार और लॉजिस्टिक (आईकेबीएलएल) शामिल हैं।	
अनुज्ञप्ति करारों के अनुसार (मेसर्स एस्सार को छोड़कर), रियायतग्राही को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर और 31 मार्च को समाप्त होनेवाली प्रत्येक छमाही में अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित सकल राजस्व का एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाणपत्र उक्त अवधि की समाप्ति से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत कर देना होगा । अनुज्ञप्ति करारों में यह प्रावधान भी है कि पोर्ट सकल राजस्व की विशेष लेखा-परीक्षा का संचालन करने के लिए अपनी लागत पर सनदी लेखा पाल अन्य फर्म को नियुक्त करने का विकल्प होगा।	
कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने तीन बीओटी प्रचालकों (एकेबीटीपीएल ,आरआईपीपीएल और जेआईपीएल) के सकल राजस्व को प्रमाणित करने के लिए मार्च 2017 की अवधि के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की । स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने यह बताया कि एकेबीटीपीएल के मामले में सकल राजस्व (31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए) से संबंधित अर्ध वार्षिक विवरण पर सांविधिक लेखा परीक्षको से प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।	एकेबीटीपीएल ,आरआईपीपीएल और जेआईपीएल के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई और 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और बाद में इसे लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

Audit Observation	Port's Reply
KPT did not independently verify the correctness of the royalty share received by it. KPT also could not produce primary records to audit for verifying the correctness of revenue shared by the six BOT operators.	Pending Audit, the revenue is recognised based on reports of traffic handled every year. If the auditors report, short claim, the same will be recognised only after raising the additional claim with the PPP operators.
In the absence of relevant records, the veracity of royalty revenue of Rs. 126.39 crore reflected in the books of accounts could not be vouchsafed.	Hence, in view of above, the revenue is recorded in the books of accounts of KPT is in consonance with the terms of agreement and is based on authentic reports of traffic handled and accordingly, audit can verify the veracity of royalty booked in the accounts.
B.2 Estate Rentals	
(i) Mortgage Charges - Rs. 3.27 crore (Schedule IV)	As per **Annexure B enclsoed.**
Government of India granted (28 November 1955) 2600 acres of land on a 99 years lease to the Sindhu Resettlement Corporation Limited. Ministry of Shipping vide letter dated 16 December 1964 had conveyed that the Chairman, KPT has been nominated to exercise all powers exercisable by the Government as per Clause 10 of revised lease deed dated 28 November 1955 executed. During the period from October 2013 to March 2017 KPT collected mortgage fee amounting to Rs.6.16 crore and during the period from April 2013 to March 2017 it collected transfer fee amounting to Rs.0.90 crore. As the land do not pertain to KPT and Government has given the powers of only Development Commissioner to the Chairman of KPT, the mortgage fee and transfer fee collected by KPT should have been remitted to Government. However, KPT has accounted mortgage fee and transfer fee as its income. This has resulted in understatement of Current Liabilities and over statement of profit by Rs.7.06 crore.	
(In this connection a reference is invited to Comment No.B.3.2 and B.3.3 of Separate Audit Report on the accounts of KPT for the year 2015-16.)	
(ii) Rent from Lands - Rs.283.84 crore (Schedule IV)	The rectification entry will be made in current year. Due care will be taken to accrue / book the income of current year only.
This includes Rs.0.85 crore due to accounting of License Fee and Water Front Charges for the period 1 April 2017 to 3 February 2018 due from M/s. Vadinar Liquid Terminal Limited. This has resulted in overstatement Sundry Debtors and profit by Rs.0.85 crore.	
B.3 Finance and Miscellaneous Income – Rs.188.70 crore	
(i) This does not include Rs.6.16 crore being interest due to non-payment of license fee and water front charges by M/s. Vadinar Liquid Terminal Limited as per the Concession Agreement. This has resulted in understatement of Sundry Debtors profit for the year by Rs.6.16 crore.	The necessary claim has already been raised on due date, but the same is not booked in accounts, as the realisation of interest is not certain and such income is booked on receipt basis as per consistent accounting policy of KPT. Hence, the treatment is correct and as such no understatement.

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	पोर्ट का उत्तर
कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने प्राप्त रॉयल्टी अंश की विशुद्धता का सत्यापन स्वतंत्र रूप से नहीं किया । कंडला पोर्ट ट्रस्ट छः बीओटी प्रचालकों द्वारा शेयर किए गए राजस्व की विशुद्धता के सत्यापन हेतु प्राथमिक रिकोर्ड भी प्रस्तुत नहीं कर सका ।	लेखा परीक्षा लंबित रहने की दशा में प्रतिवर्ष संभाले गए यातायात की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व स्वीकृत किया गया है यदि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संक्षिप्त दावा दर्शाया गया है तो इसे पीपीपी प्रचालकों के साथ अतिरिक्त दावा प्रस्तुत करने के पश्चात ही इसे स्वीकृत किया जाएगा । अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट के लेखा बहियों में राजस्व को अभिलिखित किया गया है । यह करार के निबधनों के अनुरूप है एवं संभाले गए यातायात संबंधी प्रामाणिक रिपोर्ट पर आधारित है तथा तदनुसार, लेखा परीक्षा लेखों में दर्ज रॉयल्टी की सत्यता का सत्यापन कर सकता है ।
सुसंगत रिकार्डों के अभाव में लेखा बहियों में प्रतिबिंबित रू. 126.39 करोड़ के रॉयल्टी राजस्व की सत्यता का निर्धारण नहीं हो सका है।	
ख.2 संपदा किराये	
(i) बंधक प्रभार - रू. 3.27 करोड़ (अनुसूची IV)	संलग्न अनुलग्नक ख के अनुसार
भारत सरकार ने सिंधु रीसेटेलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2600 एकड़ भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर (29 नवंबर 1955) दी थी। पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 16 दिसंबर, 1964 के पत्र द्वारा यह बताया था कि संशोधित पट्टा-विलेख दिनांक 28 नवंबर, 1955 के खंड 10 के अनुसार सरकार द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट को नामित किया गया है । अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने रू. 6.16 करोड़ का बंधक-शुल्क संग्रहित किया है और अप्रैल, 2013 से मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान रू. 0.90 करोड़ का अंतरण शुल्क संग्रहित किया है । चूंकि भूमि कंडला पोर्ट ट्रस्ट की नहीं है और सरकार ने कंडला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष को केवल विकास आयुक्त की शक्तियां प्रदान की हैं, अतःकंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संग्रहित बंधक शुल्क एवं अंतरण-शुल्क सरकार को जमा करानी चाहिए थी । तथापि, कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने बंधक शुल्क तथा अंतरण शुल्क को अपनी आय के रूप में लेखांकित किया है । इसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं में न्यूनाक्ति और लाभ में रू.7.06 करोड़ की अत्युक्ति हुई है।	
(इस संदर्भ में वर्ष 2015-16 के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट के लेखों पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. ख.3.2 और ख.3.3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है)	
(ii) भूमि से किराये (अनुसूची IV) - रू..283.84 करोड़ (अनुसूची IV)	परिशोधन प्रविष्टि चालू वर्ष में की जाएगी । केवल चालू वर्ष की आय को प्रौद्भूत/दर्ज करने में समुचित सावधानी बरती जाएगी ।
मैसर्स वाड़ीनार तरल टर्मिनल लिमिटेड से 1 अप्रैल 2017 से 3 फरवरी 2018 तक की अवधि के लिए देय लाइसेंस शुल्क एवं बंदरगाह प्रभार के लेखांकन के कारण रू.6.16 करोड़ की राशि इसमें शामिल है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियां और लाभ में रू.0.85 करोड़ की अत्योक्ति हुई है।	
ख .3 वित्त एवं विविध आय रू.188.70 करोड़ (अनसची X)	
(i) रियायत करार के अनुसार मैसर्स वाड़ीनार तरल टर्मिनल लिमिटेड द्वारा लाइसेंस शुल्क एवं बंदरगाह प्रभार की अदायगी न किए जाने के कारण रू. 6.16 करोड़ की राशि इसमें शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों और लाभ में रू.6.16 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।	देय तारीख पर आवश्यक दावा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है परंतु इसे लेखे में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि ब्याज की प्राप्ति निश्चित नहीं और ऐसी आय को कंडला पोर्ट ट्रस्ट की सुसंगत लेखा नीति के अनुसार प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जाता है । अतः तत्संबंधी निरूपण सही है और किसी प्रकार की न्यूनोक्ति नहीं है ।

Audit Observation	Port's Reply
(ii) Prior Period Income – Rs.11.25 crore (Schedule X)	
This does not include Rs.6.35 crore towards royalty, pilotage, port dues, towage and mooring fees pertaining to prior period. This has resulted in understatement of Prior Period Income and overstatement of operating income for the year by Rs.6.35 crore.	Due care will be taken in future.
B.4 Profit and Loss Account	
Expenditure - Rs.658.78 crore	
Income Tax for the Year - NIL	
A reference is invited to Note No.1 of Notes on Accounts wherein it is stated that no provision for Income Tax amounting to Rs.204.66 crore has been made as KPT claimed exemption under Section 11 to 13 of Income Tax Act on the basis of report of a Tax Planner. As KPT is yet to obtain exemption under Section 11 to 13 of Income Tax Act, 1961 and has also paid Advance Tax / TDS amounting to Rs.216 crore for the year 2016-17, it should have provided for Income Tax liability amounting to Rs.204.66 crore for the year 2016-17. This has resulted in understatement of Current Liability and overstatement of Profit after Tax by Rs. Rs.204.66 crore. (In this connection a reference is invited to Comment No.B.5.1 of Separate Audit Report on the accounts of KPT for the year 2015-16.)	The audit may not have taken the other deductions available to KPT in case the claim of KPT u/s 11 is rejected, such as deduction u /s 80IA for BOT project and valuation differential paid to LIC being contribution to Pension Fund. The applicable advance taxes have been paid in installments as applicable to safeguard against the imposition of interest in case claim of KPT u /s 11 is rejected after calculating the taxable income, as in book income, various adjustment have to be effected to calculate the taxable income. The entire amount of TDS deducted and advance tax paid during the year has been claimed as refund. The Tax Planning adviser has taken rationale of various Court Judgement for claim of deduction u /s 11 by KPT. Due disclosure has been made in Notes to Accounts.
B.5 Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule XI)	
Contribution to Gratuity Fund – Rs.12 crore	
Contribution to Pension Fund – Rs.169.80 crore	
As per Accounting Standard 15 (Employee Benefits) where the liability for retirement benefits was funded through creation of a trust, the cost incurred for the year should be determined actuarially. The Actuary's Report specified the contribution to be made by the employer on annual basis during the valuation period. This annual contribution reported in the Actuary's Report was required to be charged to Profit and Loss Account each year.	
KPT has constituted two separate trusts viz. Superannuation and Gratuity Trusts.	
Details of Actuarial Liability, Fund Balance as per the Actuarial Valuation Report and Investment are given below:	

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	पोर्ट का उत्तर
(ii) पर्वावधि आय-रु.11.25 करोड़ (अनसूची X)	
इसमें पूर्वावधि की रॉयल्टी, पोतचालन प्रभार, पोर्ट बकाया, अनुकर्षण एवं नौबंध शुल्क के मद्दे रु.6.35 करोड़ की राशि शामिल नहीं है । इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष पूर्वावधि आय में न्यूनोक्ति हुई है और प्रचालन आय में रू.6.35 करोड़ की अत्युक्ति हुई है।	अविष्य में इस संबंध में सावधानी बरती जाएगी ।
ख.4 लाभ और हानि लेखा	
व्यय- रु.658.78 करोड़	
वर्ष के लिए आयकर - शन्य	
लेखा-टिप्पणी के नोट सं. 1 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया क्योंकि कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर योजनाकर्त्ता की रिपोर्ट के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 11 से 13 के अधीन छूट प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत करेगा । चूंकि कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 के अधीन अब तक छूट प्राप्त नहीं की है और वर्ष 2016-17 के लिए अग्रिम कर/टीडीएस के रूप में रू.216 करोड़ की राशि का भी भुगतान किया है। अतः रु. 204.66 करोड़ की राशि हेतु आयकर देयता संबंधी प्रावधान किया जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप चालू देयता में न्यूनोक्ति और कर पश्चात् लाभ में रु.204.66 करोड़ की अत्युक्ति हुई है। (इस संदर्भ में वर्ष 2015-16 के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट के लेखों पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी सं. ख.5.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है)	धारा 11 के अधीन कंडला पोर्ट ट्रस्ट का दावा अस्वीकृत होने के मामले में कंडला पोर्ट ट्रस्ट के पास उपलब्ध अन्य कटौतियों को लेखा परीक्षा ने नहीं लिया है जैसे कि बी ओ टी परियोजना हेतु धारा 80ए के अधीन कटौती और पेंशन निधि में अंशदान संबंधी एल आई सी को संदत्त मूल्यांकन-अंतर की कटौती । लागू अग्रिम कर का भुगतान किस्तों में किया गया है जैसाकि करयोग्य आय, जो बहियों में दर्शाई गई है, की गणना करने के पश्चात् धारा 11 के अधीन कंडला पोर्ट ट्रस्ट का दावा अस्वीकृत होने के मामले में ब्याज बचाने के लिए लागू हो, करयोग्य आय की गणना करने हेतु विभिन्न प्रकार के समायोजन करने पड़ते हैं । कटौती की गई टीडीएस की संपूर्ण राशि और वर्ष के दौरान संदत्त अग्रिम कर का प्रतिदाय के रूप में दावा किया गया । कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा धारा 11 के अधीन किए गए कटौती संबंधी दावे के लिए कर योजना सलाहकार ने विभिन्न न्यायालय के फैसले का तर्कधार लिया है। लेखा टिप्पणी में उचित खुलासा किया गया है ।
B.5 वित्त एवं विविध व्यय (अनुसूची XI)	
पेंशन निधि में अंशदान -रु.169.80 करोड़	
लेखा मानक 15 (कर्मचारी हितलाभ) के अनुसार, जहां सेवानिवृत्ति लाभों के लिए न्यास के सृजन के माध्यम से देयता को निधिबद्ध किया गया था । वही वर्ष के दौरान तत्संबधी लागत का निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाना चाहिए । मूल्यन-अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा वार्षिक आधार पर किए जाने वाले अंशदान को बीमांकिक रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया गया है । बीमांकिक रिपोर्ट में बताए गए वार्षिक अंशदान को प्रतिवर्ष लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाना अपेक्षित था ।	
कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने दो अलग-अलग न्यासों अर्थात् अधिवार्षिता एवं उपदान न्यास का गठन किया है ।	
बीमांकिक देयता, बीमांकिक मूल्यन रिपोर्ट एवं निवेश के अनुसार निधि शेष का विवरण निम्नवत् है:	

Audit Observation				Port's Reply
Description	Kandla Port Superannuation Scheme (for existing employees)	Kandla Port Superannuation Scheme (for retired employees)	KPT Employees Gratuity Fund	
1. Actuarial Liability as on 31 March 2017	1050.66	Actuarial Valuation not carried out	150.17	
2. Fund Balance as on 31 March 2017	1050.66	332.80	171.93	
3. Deficit (1-2)	0	Not available	21.76	
4. Investment as on 31 March 2017	973.58	385.58	146.02	
5. Deficit (2-4)	-77.08	52.78	-25.91	
(i) As KPT has not carried out Actuarial Valuation of Superannuation Scheme of retired employees as on 31 March 2017, the actuarial liability of the same cannot be ascertained. In the absence of Actuarial Valuation of Kandla port Superannuation Scheme (for retired employees), adequacy or otherwise of the contribution of Rs.169.80 crore towards Pension Fund cannot be ascertained in audit.				It is not mandatory for DPT to carry out actuarial valuation of pension fund. As per the Trust Deed, Actuary can be appointed by "Employer" or "Insurance Company". Hence, it is not correct to conclude that actuarial liability of pension fund cannot be ascertained. However, in the next financial year, an independent actuarial valuation will be carried out by DPT.
(ii) Against the fund balance of Rs. 1050.66 crore in respect of Kandla Port Superannuation Scheme (for existing employees) as on 31 March 2017, the investment was Rs. 973.58 crore resulting in a shortfall of Rs. 77.08 crore. Similarly, against the fund balance of Rs.332.80 crore in respect of Kandla Port Superannuation Scheme (for retired employees) as on 31 March 2017, the investment was Rs. 385.58 crore resulting in a surplus of Rs. 52.78 crore;				Regarding shortfall of Rs. 77.08 Cr, it is state that actuarial valuation is carried out by LIC after closing of financial years. Hence, comparing to the status of corpus as on 31.03.2017, there will either excess/ shortfall of the fund. The actuarial valuation of Rs. 77.91 Cr. communicated by LIC in May,17., out of which, an amount of Rs. 37.00 Cr. has already been paid to LIC. For remaining amount, it is to mention that apart from the annual pay out from the annuities, there is requirement of 60 Cr. yearly towards disbursement of pension liability, which is met from the interest generated by the pension fund managed by LIC instead of seeking additional fund from KPT. Therefore, the shortfall of Rs. 40.09 Cr. will be made good considering estimated interested generated by the pension fund during the year 2017-18. As regard to shortfall of Rs. 52.78 Cr. in fund balance of retired employees as pointed out by the audits, it is to mention that Kandla Port Superannuation Scheme is meant for creating corpus for meeting the pension liability of existing employees. Therefore, actuarial valuation is also carried considering future liability of existing employees only. The surplus amount of Rs. 52.79 Cr. indicated by audit is purely hypothetical. Hence, no comment is offered.

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण				पोर्ट का उत्तर
विवरण	कंडला पोर्ट अधिवार्षिता योजना (मौजूदा कर्मचारियों के लिए)	कंडला पोर्ट अधिवार्षिता योजना (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए)	कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों की उपदान निधि	
1. दिनांक 31 मार्च 2017 को बीमांकिक देयता	1050.66	बीमांकिक मूल्यन नहीं किया गया	150.17	
2. दिनांक 31 मार्च 2017 तक निधि-शेष	1050.66	332.80	171.93	
3. घाटा (1-2)	0	उपलब्ध नहीं	21.76	
4. दिनांक 31 मार्च 2017 को निवेश	973.58	385.58	146.02	
5. घाटा (2-4)	-77.08	52.78	-25.91	

(i)चूंकि कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने दिनांक 31 मार्च 2017 तक सेवानिवृत्त की अधिवार्षिता योजना का बीमांकिक मूल्यन नहीं किया है, अतः इसकी बीमांकिक देयता का निश्चयन नहीं किया जा सकता । कंडला पोर्ट ट्रस्ट अधिवार्षिता योजना (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए) के अभाव में लेखा परीक्षा में पेंशन निधि के मद्दे रु.169.80 करोड़ के अंशदान की पर्याप्तता अथवा अन्यथा का निश्चयन नहीं किया गया है ।	पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यन किया जाना डीपीटी के लिए अनिवार्य नहीं है । न्यासी विलेख के अनुसार "नियोजक" अथवा "बीमा कंपनी" द्वारा बीमांकनकर्त्ता की नियुक्ति की जा सकती है । अतः यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि पेंशन निधि की बीमांकिक देयता का निश्चयन नहीं किया जा सकता । तथापि, आगामी वित्तीय वर्ष में डीपीटी द्वारा स्वतंत्र रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया जाएगा ।
(ii) दिनांक 31 मार्च, 2017 को अधिवार्षिता योजना (मौजूदा कर्मचारियों के लिए) के संबंध में रु.1050.66 करोड़ के निधि शेष के सम्मुख निवेश रु.973.58 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरुप रु.77.08 करोड़ की कमी हुई । उसी प्रकार दिनांक 31 मार्च, 2017 को कंडला पोर्ट अधिवार्षिता योजना (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए) के संबंध में रु.332.80 करोड़ के निधि शेष के सम्मुख निवेश रु. 385.58 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरुप रु.52.78 करोड़ का अधिशेष हुआ ।	रु. 77.08 करोड़ की कमी के संबंध में यह बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यन किया गया था । अतः दिनांक 31.03.2017 तक संग्रहित राशि की स्थिति से तुलना करने पर निधि में अधिकता/कमी, दोनों में से एक होगी । भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मई, 17 में सूचित रु.77.91 के बीमांकिक मूल्यन में से रु. 37.00 करोड़ का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को पहले ही किया जा चुका है। शेष बची राशि के संबंध में यह यह उल्लेख करना है कि वार्षिक संदाय के अलावा पेंशन देयता के संवितरण के मद्दे वार्षिक कोष से सालाना 60 करोड़ की आवश्यकता रहती है, जिसकी पूर्ति कंडला पोर्ट ट्रस्ट से अतिरिक्त निधि की मांग करने के बजाए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन निधि से उत्पन्न ब्याज से की जाती है । अतः वर्ष 2017-18 के दौरान पेंशन निधि द्वारा उत्पन्न अनुमानित ब्याज पर विचार करते हुए रु.40.09 करोड़ की कमी को पूरा कर लिया जाएगा । लेखापरीक्षकों द्वारा यथाउल्लिखित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निधि शेष में रु.52.78 करोड़ की कमी के संबंध में यह उल्लेख करना है कि मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देयता की पूर्ति के आशय से कोष का सृजन करना कंडला पोर्ट अधिवार्षिता योजना का उद्देश्य है । अतः केवल मौजूदा कर्मचारियों से संबंधित भावी देयता को ध्यान में रखकर बीमांकिक मूल्यन भी किया गया है । लेखा परीक्षा द्वारा दर्शाई गई रु. 52.79 करोड़ की अधिशेष राशि पूर्णतया काल्पनिक है । अतः कोई टिप्पणी नही दी जाती है ।

Audit Observation	Action Taken Notes
(iii) In respect of Employees Gratuity Fund, against the actuarial liability of Rs.150.17 crore, the fund balance was Rs.171.93 crore resulting in a surplus of Rs.21.76 crore. In the absence of Government order for increasing the maximum limit of gratuity from Rs.10 lakh to Rs.20 lakh, the Port should not have increased the gratuity liability;	It is to mention that following two events are expected to take place in the year 2017-18, which will increase the actuarial liability of Gratuity Fund as on 31.03.2018. a) The prescribed limit of maximum gratuity amount has been increased from Rs.10.00 lac to Rs. 20.00 lac by the Central Government. The order of Ministry of Shipping is awaited for implementation of the same in Major Ports. (b) The wage settlement of Officers and Employees is due from 2017.
(iv) Against the fund balance of Rs.171.93 crore in respect of Gratuity Fund as on 31 March 2017, the investment was Rs.146.02 crore resulting in a shortfall of Rs.25.91 crore.	It is to mention that the closing balance of Rs. 27.04 Cr. at bank also pertains to Gratuity Fund, which is not considered by audit while computing the shortfall. Hence, considering the said amount of Rs. 27.04 Cr., there is no shortfall in investment as such.
C. Effect of Audit Comments on Accounts The net impact of comments given in preceding paras is understatement of assets by Rs.25.04 crore, understatement of liabilities by Rs.211.72 crore and overstatement of profit by Rs.186.68 crore.	Considering the above clarifications, as furnished on each item, the misclassification and overstatement /understatement to the extent agreed to by the Kandla Port Trust has been/being adjusted in the accounts of 2016-17. The net understatement of assets by Rs. 9.49 crore and profit by Rs. 10.34 crore, as against Rs. 186.68 crore as observed by Audit. The observations of audit has been noted for future compliance, wherever acceptable as clarified against each to the observations.
1. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.	Factual position.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure - I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:	The observations as raised in SAR have been materially disclosed in Notes to Accounts so as to present a true and fair view of the financial statements and all generally accepted accounting principles have been followed. Actions on certain observations such as provisions for doubtful debts, non-moveable inventories are referred to Ministry to have a uniform policy. Claim of deductions u /s 11 is a legal implication.
3. In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of the KPT as at 31 March 2017; and	
4. In so far as it relates to Profit and Loss Account of the Profit for the year ended on that date.	
5. A Review of Accounts showing the summarized financial results of KPT for three years ended 31 March 2017 is given in Annexure –II.	
For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India SD/- **(Roop Rashi)** **Principal Director of Commercial Audit &** **Ex-officio Member Audit Board-I, Mumbai** Place : Mumbai Date: 3 October 2017.	**(D. N. Sondhi)** Financial Adviser & Chief Accounts Officer Place : Gandhidham Date: October 2017.

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	पोर्ट का उत्तर
(iii) कर्मचारी उपदान निधि के संबंध में रु.150.17 करोड़ की बीमांकिक देयता के सम्मुख निधि-शेष रु.171.93 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप रु.21.76 करोड़ का अधिशेष हुआ । उपदान की अधिकतम सीमा रु.10 लाख से रु.20 लाख तक बढ़ाए जाने से संबंधित सरकारी आदेश की अनुपस्थिति में पोर्ट को उपदान देयता में बढ़ोत्तरी नहीं की जानी चाहिए थी;	यह उल्लेख करना है कि वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित दो घटनाएं होने की संभावना है जिससे दिनांक 31.03.2018 तक उपदान निधि की बीमांकिक मूल्यन में वृद्धि होगी । क) केंद्र सरकार द्वारा उपदान राशि की अधिकतम निर्धारित राशि की सीमा रु 10 लाख से रु.20 लाख तक बढ़ा दी गई है । महापत्तनों में तत्संबंधी कार्यान्वयन हेतु पोत परिवहन मंत्रालय का आदेश प्रतीक्षित है । (ख) अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन समझौता 2017 से देय है ।
(iv)दिनांक 31 मार्च, 2017 को उपदान निधि के संबंध में रु.171.93 करोड़ के निधि शेष के सम्मुख निवेश रु. 146.02 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरुप रु. 25.91 करोड़ की कमी हुई ।	यह बताया जाता है कि बैंक में रु. 27.04 करोड़ का इतिशेष भी उपदान निधि से संबंधित है, जिस पर लेखा परीक्षा द्वारा कमी की गणना करते समय विचार नहीं किया गया। अतः रु. 27.04 करोड़ की उक्त राशि को ध्यान में रखते हुए निवेश में की कमी नहीं है ।
ब.लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव रु. 25.04 करोड़ तक परिसंपत्तियों की न्यूनाक्ति, रु.211.72 करोड़ तक देयताओं की न्यूनाक्ति तथा रु. 186.68 करोड़ तक लाभ की अत्युक्ति हुई है ।	उपर्युक्त स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, जो प्रत्येक मद में दिए गए हैं, कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा सहमत गलत वर्गीकरण एवं अत्युक्ति/न्यूनोक्ति को 2016-17 की लेखाओं में समायोजित किया गया है/किया जा रहा है। लेखा परीक्षा द्वारा यथासंप्रेक्षित रु.186.68 करोड़ के समक्ष परिसंपत्तियों में रु.9.49 करोड़ की शुद्ध न्यूनोक्ति तथा लाभ में रु.10.34 करोड़ की अत्युक्ति हुई । लेखा परीक्षा संप्रेक्षणों को आगे के अनुपालन के लिए नोट कर किया गया है जो जहां कही स्वीकार्य और जिन्हें प्रत्येक संप्रेक्षण के समुख स्पष्ट किया गया है ।
1. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे संप्रेक्षणों के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा, लेखे की बहियों के अनुरूप हैं ।	वास्तविक स्थिति है ।
2. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाकरण नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियाँ के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा के अनुलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं :	एसएआर में दिए गए संप्रेक्षणों का खुलासा भौतिक रूप से लेखा टिप्पणियों में किया गया है ताकि वित्तीय विवरणें का सही और स्पष्ट राय प्रस्तुत की जा सके और सामान्य रूप से स्वीकृत सभी लेखांकन सिद्धांतों को अपनाया जा सके । कुछ संप्रेक्षणों जैसा कि अशोध्य ऋण हेतु प्रावधानों, अचल वस्तु-सूचियों को एक समरूप नीति बनाए जाने के आशय से मंत्रालय को संदर्भित किया गया । धारा 11 के तहत कटौती का दावा विधिक निहितार्थ है ।
3. यह कंडला पोर्ट ट्रस्ट के दिनांक 31 मार्च, 2016तक के क्रियाकलाप तथा तुलनपत्र से संबंधित हैं ; और	
4. यह उस तारीख को समाप्त होनेवाले वर्ष के लाभ-हानि लेखे के लाभ से संबंधित है ।	
5. 31 मार्च, 2017 को समाप्त गत तीन वर्षों के कंडला पोर्ट ट्रस्ट के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम को दर्शाते हुए लेखाओं की समीक्षा अनुलग्नक - II में दी गई है ।	
भारत के महालेखानियंत्रक तथा लेखा-परीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से हस्ता/- (रूप राशि) **प्रधान निदेशक , वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा** **पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I, मुंबई** स्थान : मुंबई दिनांक : 3 अक्टूबर, 2017.	हस्ता/- (डी.एन.सोंधी) **वित्त सलाहकार एवं** **मुख्य लेखा अधिकारी** स्थान : गांधीधाम दिनांक : अक्तूबर 2017.

Audit Observation	Action Taken Notes
Annexure-I	
1. Adequacy of Internal Audit System	
The Port appointed a firm of Chartered Accountants for conducting Internal Audit for the year 2016-17. The report submitted by the Chartered Accountants contained the following deficiencies:	The KPT is having well defined & well established internal check and balance system in which the work of all the department /division are pre audited before payment by the Works Audit Section in cases related to works and by Pay Section, in case of relating to Establishment and other payment. Further, KPT is having a robust system of audit mechanism, which includes internal auditing by Chartered Accountants, transaction audit by CAG, special audit of PPP projects by Chartered Accountants and Performance Audit by CAG. For all other points / observations as received in the Audit Report during the year 2016-17 are taken up for compliance.
(i) In respect of wharfage, in fifty cases there were time gaps between payment of wharfage and sailing of vessels;	
(ii) Revised / relevant rate lists were not available with Divisional Accountants for payment of bills; and	
(iii) Facility compensation charges of Rs.0.96 crore were outstanding from 18 parties for periods dating back to 1999.	
2. Adequacy of Internal Control System.	
The Internal Control System of the Port requires strengthening for the following reasons:	With a view to have a adequate internal control system, KPT got prepared an accounts manual from IMU which is approved and circulated to all Departments. In additions to that, other important manual like works manual and procurement manual are also prepared and circulated to have a well defined system for recognition of revenue and provisions for all liabilities. The sufficient internal financial controls and fiscal prudence are in place and service tax on disputed income is paid as per the advise of the Tax Auditor to avoid interest and penalty at later stage. The necessary steps including legal action is in process to recover the same.
(i) Fixed Assets put to use were not capitalised and depreciation provided;	
(ii) There was no proper system of obtaining balance confirmation in respect of Sundry Debtors and Loans and Advances;	
(iii) There was no system of making provision for non-moving items of inventories;	
(iv) There was no proper system for raising bills and accounting for revenue, provision for outstanding liabilities for remedial action; and	
(v) There was no proper system for collection of disputed Service Tax	
3. System of Physical Verification of Fixed Assets	The appropriate actions on the observations is raised in the physical verification report of fixed assets have been taken up with all the concerned, so as to update the Fixed Assets Register and to have a well define system for survey off and written off.
Physical Verification of Fixed Assets was carried out by a firm of Chartered Accountants and made following observations:	
(i) Updation of Fixed Assets Register should be made on periodical basis to give effect of the additions in the Fixed Assets as also deductions in the Fixed Assets upon their survey off / disposal;	
(ii) Procedure for survey off of the assets should be completed on priority basis;	
(iii) Surveyed off assets should be centrally stored at one place;	
(iv) Fixed Assets, which were surveyed off should be written off from the Financial Books of Accounts on regular basis; and	

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	पोर्ट का उत्तर
अनबंध-I	
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	
पोर्ट ने वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 20 मई, 2016 को आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन करने हेतु सनदी लेखापालों की एक फर्म को नियुक्त किया। सनदी लेखापालों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में निम्नलिखित विसंगतियां हैं:	कंडला पोर्ट ट्रस्ट के पास सुपरिभाषित और सुस्थापित आंतरिक जांच एवं संतुलन प्रणाली है जिसमें कार्य से जुड़े मामले में कार्य लेखा परीक्षा अनुभाग द्वारा तथा स्थापना एवं अन्य संदाय संबंधी मामले में वेतन अनुभाग द्वारा सभी विभाग/प्रभाग के कार्य का पूर्व लेखा परीक्षण किया जाता है । इसके अतिरिक्त कंडला पोर्ट ट्रस्ट में एक लेखा परीक्षा तंत्र की एक मजबूत प्रणाली जिसमें सनदी लेखापालों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण, सीएजी द्वारा लेनदेन संबंधी लेखा परीक्षा, सनदी लेखापालें और सीएजी द्वारा निष्पादन संबंधी लेखा परीक्षा शामिल है ।
(i) भरणघाट के संबंध में पचास मामलों में भरणघाट संबंधी संदाय और जलयानों की जलयात्रा के बीच समय का अंतराल रहा ;	
(ii) बिलों के भुगतान हेतु प्रभागीय लेखापालों के पास संशोधित/संबद्ध सूची उपलब्ध नहीं थी ;	
(iii) वर्ष 1999 तक की पिछली अवधियों हेतु 18 पक्षकारों से रू .0.96 करोड़ का सुविधा हर्जाना प्रभार बकाया था।	वर्ष 2016-17 के दौरान लेखा परीक्षा में यथा प्राप्त अन्य सभी बिदुओं/संप्रेक्षणों के अनुपालन प्रारंभ किया गया है।
2. आंतरिक नियंत्रण-प्रणाली की पर्याप्तता	
पोर्ट की आंतरिक नियंत्रण-प्रणाली को निम्नलिखित कारणों से सुदृढ़ किया जाना अपेक्षित है :	एक समर्थ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने आईएमयू से एक लेखा मैनुअल तैयार करवाया है जिसे अनुमोदित कर सभी विभागों को परिचालित किया गया है इसके अलावा राजस्व की पहचान तथा सभी देयताओं से संबंधित प्रावधानों हेतु एक सुपरिभाषित प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य-मैनुअल एवं खरीद मैनुअल जैसे अन्य महत्वपूर्ण मैनुअल भी तैयार किए गए हैं । पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं वित्तीय विवेक रखा गया है और पश्चात्वर्ती ब्याज और शास्ति से बचने के लिए कर लेखा परीक्षकों की सलाह के अनुसार विवादित आय पर सेवाकर का भुगतान किया जाता है । तत्सबधी वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सहित, आवश्यक कदम प्रक्रियागत हैं।
(i) उपयोग में ली गई स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया गया और मूल्यह्रास उपबंधित किया गया ;	
(ii) विविध देनदारों और ऋण तथा अग्रिम से संबंधित शेष का पुष्टिकरण प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी;	
(iii) वस्तु-सूची में रुकी हुई मदों से संबंधित प्रावधान करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी;	
(iv) बिलों के प्रस्तुतीकरण और राजस्व संबंधी लेखांकन , सुधारात्मक कार्रवाई हेतु बकाया देयताओं से संबंधित प्रावधानों के लिए कोई समुचित प्रणाली नहीं थी ; और	
(v) विवादीत सेवाकर के संग्रहण हेतु कोई समुचित प्रणाली नहीं थी ।	
3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
सनदी लेखापालों की एक फर्म द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा निम्नलिखित संप्रेक्षण दिए गए :	स्थायी परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दिए गए संप्रेक्षण पर उचित कार्रवाई को हाथ में लिया गया है ताकि स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित रजिस्टर को अद्यतन करने तथा सर्वेक्षण बंद करने एवं बट्टे खाते में डालने की एक सुपरिभाषित प्रणाली स्थापित की जा सके ।
(i) स्थायी परिसंपत्तियों में अनुवृद्धि के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों में कटौती को उनके सर्वेक्षण के बंद/निपटान को प्रभावी बनाने के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर को आवधिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए;	
(ii) परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण बंद-प्रक्रिया को वरीयता आधार पर संपन्न किया जाना चाहिए था ;	
(iii) सर्वेक्षण बंद की गई परिसंपत्तियों को एक स्थान पर केन्द्रीभूत रखते हुए भंडारित किया जाना चाहिए ;	
(iv) स्थायी परिसंपत्तियों, जिनका बंद-सर्वेक्षण संपन्न हो चुका था, को नियमित आधार पर वित्तीय लेखा बही से हटाकर बट्टेट खाते में डाला जाना चाहिए ; और	

Audit Observation	Action Taken Notes
4. System of Physical Verification of Inventories	
Physical verification of inventory was carried out during 2016-17.	Factual position.
5. Regularity in payment of statutory dues	
KPT was regular in depositing undisputed statutory dues.	Factual position.
Sd/- **(C. S. Panwar)** **Deputy Director of Commercial Audit &** **Ex-officio Member Audit Board-I, Mumbai** Place : Mumbai Date: 3 October 2017.	**(D. N. Sondhi)** **Financial Adviser &** **Chief Accounts Officer** Place: Gandhidham Date: October 2017.

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणी
4. वस्त-सची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
वर्ष 2016-17 हेतु क दौरान वस्तु-सूची से संबंधित भौतिक सत्यापन किया गया ।	वास्तविक स्थिति है।
5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता	
कंडला पोर्ट ट्रस्ट सांविधिक बकायों को नियमित रूप से जमा करता रहा है।	वास्तविक स्थिति है।
हस्ता/- (सी. एस. पंवार) उप निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I, मुंबई स्थान : मुंबई दिनांक : 3 अक्टूबर, 2017.	हस्ता/- (डी.एन.सोंधी) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी स्थान : गांधीधाम दिनांक : अक्टूबर 2017.

Audit Observation	Action Taken Notes
Annexure II	
Review of accounts of Kandla Port Trust for three years ended 31 March 2017 by the Comptroller and Auditor General of India	Factual position.
(The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)	
1. Financial Position	
The Financial Position of Kandla Port Trust under the broad headings for three years ended 31 March 2017 is given below:	

Rs. in crore

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
LIABILITIES			
Capital Reserve	1714.05	2070.14	2187.83
Other Reserves	1857.96	1967.15	2573.36
Borrowings	16.12	16.12	95.15
Deferred Tax Liability	97.90	97.90	97.90
Current liabilities and Provisions	1396.00	1480.52	1696.99
Total	**5082.03**	**5631.83**	**6651.23**
ASSETS			
Net Fixed Assets	1006.63	1013.91	1193.17
Work-in-Progress	420.49	459.61	329.51
Investments	1670.16	2039.78	1963.64
Current Assets and Loans and Advancaes	1984.75	2118.53	3164.91
Deferred Tax Assets	0	0	0
Other Assets/Misc. Expenditure	0	0	0
Sheds handed over to BOT operator	0	0	0
SVRS Expenditure	0	0	0
Total	**5082.03**	**5631.83**	**6651.23**
Working Capital *	588.75	638.01	1467.92
Net Worth **	3572.01	4037.29	4761.19
Capital Employed ***	1595.38	1651.92	2661.09
Net Surplus (before appropriation)	-63.61	422.12	693.86
Return on Capital Employed **** (percentage)	-3.99	25.55	26.07
Capital Employed (Including work-in-Progress)	2015.87	2111.53	2990.60
Return on Capital Employed **** (Including Work-in-progress) (percentage)	-3.16	19.99	23.20

लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण	अनवर्ती कार्रवाई टिप्पणी

अनबंध-II

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले गत तीन वर्षो से संबंधित कंडला पोर्ट ट्रस्ट के लेखे की समीक्षा ।

(लेखे की यह समीक्षा लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों/ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए संप्रेक्षणों/टिप्पणियों को सम्मिलित किए बिना तैयार की गई हैं)

वास्तविक स्थिति है ।

1. वित्तीय स्थिति :

कंडला पोर्ट ट्रस्ट की 31 मार्च 2017 को समाप्त तीन वर्षो से संबंधित वित्तीय स्थिति मोटे शीर्षो के अधीन निम्नवत् है :

रू.करोड़ो में

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
देयताएँ			
पूंजीगत आरक्षिति	1714.05	2070.14	2187.83
अन्य आरक्षिति	1857.96	1967.15	2573.36
उधार	16.12	16.12	95.15
आस्थगित कर देयताएँ	97.90	97.90	97.90
चालू देयताएँ और प्रावधान	1396.00	1480.52	1696.99
कुल	**5082.03**	**5631.83**	**6651.23**
परिसंपत्तियाँ			
शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियाँ	1006.63	1013.91	1193.17
चालू कार्य	420.49	459.61	329.51
निवेश	1670.16	2039.78	1963.64
चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम	1984.75	2118.53	3164.91
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	0	0	0
अन्य परिसंपत्तियां/विविध व्यय	0	0	0
बी ओटी प्रचालक को सौंपे गए शेड	0	0	0
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0	0	0
कुल	**5082.03**	**5631.83**	**6651.23**
कार्यशील पूंजी *	588.75	638.01	1467.92
शुद्ध संपत्ति **	3572.01	4037.29	4761.19
नियोजित पूंजी ***	1595.38	1651.92	2661.09
शुद्ध अधिशेष(विनियोजन पूर्व)	-63.61	422.12	693.86
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ **** (प्रतिशतता)	-3.99	25.55	26.07
नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित)	2015.87	2111.53	2990.60
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ **** (चालू कार्य सहित) (प्रतिशतता)	-3.16	19.99	23.20

Audit Observation	Action Taken Notes
* Working capital represents Current Assets minus Current Liabilities;	Factual position.
** Net worth represents Capital Reserves and Other Reserves plus surplus/less deficit;	
*** Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital;	
**** Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.	
2. Working Results	
The working results of Kandla Port Trust for the last three years ended 31 March 2017 are summarized below:	

(In crore)

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
Revenue			
Operating Income	884.69	982.14	1383.15
Non operating Income	163.58	207.26	188.70
Total	**1048.27**	**1189.40**	**1571.85**
Expenditure			
Operating expenditure	620.59	621.58	658.79
Non operating expenditure	380.74	145.70	219.20
Total	**1001.33**	**767.28**	**877.99**
Extra ordinary items	0.00	0.00	0.00
Prior Period charges	0.00	0.00	0.00
Contribution to Pension, Gratuity and Leave Encashment fund	0.00	0.00	0.00
Net Surplus before tax	**46.94**	**422.12**	**693.86**
Less: Provision for Tax	112.19	0.00	0.00
Add / Less: Deferred tax liability / assets	-1.64	0.00	0.00
Add: Withdrawn from Welfare fund	0.00	0.00	0.00
Net surplus before appropriation	**-63.61**	**422.12**	**693.86**
Less: Mandatory Appropriations /Transfers to Res. Funds,	130.53	264.52	157.45
Surplus / Deficit transferred to General Reserve Fund	-194.14	157.60	536.41
Percentage of net surplus to:			
(i) Operating Income	-7.19	42.98	50.17
(ii) Net Fixed Assets	-6.32	41.63	58.15
(iii) Net Worth	-1.78	10.46	14.57

लेखा-परीक्षा सप्रेक्षण	अनुवर्ती कारवाई टिप्पणी
** कार्यशील पूंजी, चालू देयताएँ छोड़कर चालू परिसंपत्तियाँ दर्शाती हैं ;*	वास्तविक स्थिति है ।
*** शुद्ध संपत्ति, अधिशेष / कम परिकलित घाटा सहित पूंजीगत आरक्षित और अन्य आरक्षित दर्शाता है;*	
*** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी में शुद्ध अधिशेष (विनियोजन से पूर्व) के प्रतिशत को दर्शाता है ;	
**** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी में शुद्ध अधिशेष (विनियोजन से पूर्व) के प्रतिशत को दर्शाता है ।	

2. **कार्यशील परिणाम**

कंडला पोर्ट ट्रस्ट के 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कार्यशील परिणाम का सार निम्नवत् है :

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व			
परिचालन आय	884.69	982.14	1383.15
गैर-परिचालन आय	163.58	207.26	188.70
कुल	**1048.27**	**1189.40**	**1571.85**
व्यय			
परिचालन व्यय	620.59	621.58	658.79
गैर-परिचालन व्यय	380.74	145.70	219.20
कुल	**1001.33**	**767.28**	**877.99**
असाधारण मदें	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि प्रभार	0.00	0.00	0.00
पेंशन, उपदान और अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान	0.00	0.00	0.00
कर से पूर्व शुद्ध अधिशेष	**46.94**	**422.12**	**693.86**
घटाएं : कर संबंधी प्रावधान	112.19	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएं : आस्थगित कर देयता/परिसंपत्तियां	-1.64	0.00	0.00
जोड़ें: कल्याण निधि से आहरण	0.00	0.00	0.00
विनियोजन पूर्व शुद्ध अधिशेष	**-63.61**	**422.12**	**693.86**
घटाएँ : राजस्व निधि में आज्ञापक विनियोजन /आरक्षित निधि आदि में	130.53	264.52	157.45
सामान्य राजस्व निधि में अंतरित अधिशेष / घाटा	-194.14	157.60	536.41
शुद्ध अधिशेष का निम्नलिखित में प्रतिशत :			
(i) परिचालन आय	-7.19	42.98	50.17
(ii)शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियाँ	-6.32	41.63	58.15
(iii)शुद्ध संपत्ति	-1.78	10.46	14.57

Audit Observation				Action Taken Notes
3. Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)				Factual position.
Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Port Trust are shown below:				
			Rs.in crore	
Particulars	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	
a. The Percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	142.17	143.09	186.50	
b. Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	61.95	62.84	79.54	
c. Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	25.76	23.42	23.69	
d. Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	0.52	0.44	2.22	
e. Percentage of profit before tax to:				
a) Net Worth	1.31	10.46	14.57	
b) Capital Employed	2.94	25.55	26.07	
c) Operating Income	5.31	42.98	50.17	
Sd/- **(C. S. Panwar)** **Deputy Director of Commercial Audit &** **Ex-officio Member Audit Board-I, Mumbai** Place : Mumbai Date: 3 October 2017.				Place: Gandhidham Date: October 2017. **(D. N. Sondhi)** **Financial Adviser &** **Chief Accounts Officer**

लेखा-परीक्षा सप्रेक्षण	अनुवर्ती कारेवाई टिप्पणी
3.अनुपातिक विश्लेषण (परिसमापन तथा ऋण शोधन क्षमता)	वास्तविक स्थिति है ।

पोर्ट के परिसमापन तथा ऋण शोधन क्षमता तथा वित्तीय स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं :

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
क.चालू देयताओं में चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों सहित)	142.17	143.09	186.50
(ख.) चालू देयताओं में शीघ्र परिसंपत्तियों का प्रतिशत	61.95	62.84	79.54
(ग) परिचालन आय में विविध देनदार का प्रतिशत	25.76	23.42	23.69
(घ.) पूंजीगत आरिक्षित तथा सामान्य आरक्षित में ऋण का प्रतिशत	0.52	0.44	2.22
(इ.) निम्नलिखित में कर पूर्व लाभ का प्रतिशत :-			
क) शुद्ध संपत्ति	1.31	10.46	14.57
ख) नियोजित पूंजी	2.94	25.55	26.07
ग) परिचालन आय	5.31	42.98	50.17

हस्ता/-

(सी. एस. पंवार)

उप निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 3 अक्टूबर 2017.

हस्ता/-

(डी.एन.सोंधी)

वित्त सलाहकार एव
मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : गांधीधाम
दिनांक : अक्टूबर 2017.

Annexure-A

SAGARMALA

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

KANDLA PORT TRUST

आइएसओ 9001:2008 एवं आइएसओ 14001:2004 प्रमाणित पोर्ट /An ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Certified Port

स्वच्छ ANNEXURE-A

एक कदम स्वच्छता की ओर

Telephone:- (02836) 221648
(02836) 230288
Telefax :- (02836) 220047
Web-site:www.kandlaport.gov.in
e-mail:facao@kandlaport.gov.in
: caackpt@gmail.com

SIPC KANDLA RIDE THE WAVE OF PROGRESS

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय
Office of the FA&CAO
प्रसाशनिक कार्यालय भवन
Administrative Office Building
गांधीधाम (कच्छ) पीन 370201
Gandhidham (Kutch) Pin: 370201

No. FA/AC/3714/ 460

Dated 22 /08/2017

To,
The Secretary to Government of India,
Ministry of Shipping, Ports Wing,
Transport Bhavan,
1, Parliament Street, Sansad Marg,
New Delhi – 110 001.

Sub: Common frame-work for Financial Reporting for Major Ports - regarding.

Ref.: No. FA/AC/3609-I/MG/85, Dated: 02/11/2016

Sir,

I invite a reference to Government letter No. PR-20021/2/98-PG dated 06/11/2002 forwaded therewith "Billimoria Report" for following the Common frame-work for Financial Reporting for Major Ports duly approved by C&AG.

As per clause (iii) of the letter "No debt will be considered as bad irrespective of any time limit. The guidelines issued by the Government of India from time to time shall be followed to make provision for bad and doubtful debts".

C&AG Audit, Mumbai, during the statutory audit of Annual Accounts raised the concern for treatment of debtors outstanding for more than 15 years old as "Good" and stressed the need that Port should make a policy for framing provision for bad and doubtful debts and as per policy provision for bad and doubtful debts should be created and deducted from sundry debtors.

Position ascertained from other ports also and it is noticed that divergent practices are being followed.

In this regard, it was requested to ministry vide letter No. FA/AC/3609-I/MG/85, Dated: 02/11/2016 to kindly frame the guidelines to follow to make provision for bad and doubtful debts in Port Trust Accounts.

In order to maintain uniformity in presentation of Accounts, it is once again requested to kindly frame the guidelines to follow to make provision for bad and doubtful debts in Port Trust Accounts.

Thanking you,

Yours faithfully,

F.A.& C.A.O
Kandla Port Trust

Reply to Clause B.3.2 for Transfer fee and Mortgage Fee

It is to clarify that the permission for transfer and mortgage fees is collected as per the following clause of lease deed: -

Provisions of Clause 5 (ii)/5(ix) and 10 of the Head lease executed between the President of India and the SRC Ltd., on 28-11-1955 :-

Clause 5 (ii) – The corporation will retain for the purposes of its own commercial and industrial activities such portion of the demised premises not exceeding one hundred acres and for purposes pertaining to the development of the town and public utility services like hospitals, schools, temples and public institutions such further portion of the demised premises as may be approved by the Government and will divide the residue of the demised premises into plots of suitable sizes for residential, industrial, commercial, public or other purposes in accordance with scheme to be approved by the Government and sublet the same to its shareholders under intimation to the Government on the terms and conditions, which, interalia, will include that the sub-lessees shall pay to the Corporation on behalf of the Government such ground rent in respect of the

plot or plots subleased as may be fixed by the Government at the time of the sub-lease thereof or as may be revised thereafter by the Government from time to time at the expiry of every twenty-five years from the date of the sub-lease and further that the sub-lessees shall not in any way transfer their interest in the sub-leases, wholly or partly, or use the plots for purposes other than sublet except with the previous approval in writing of the Government and except upon payment to the Government of such fees or premia as the Government may determine in that behalf. The Government doth hereby approve, for the purpose of this sub-clauses, the sub-lease granted by the Corporation prior to the execution of this lease in respect of plots within the demised premises whereon the Corporation has constructed buildings and structures for the benefit of displaced persons and the Corporation doth hereby agree that the terms and conditions thereof shall be as aforesaid and subject to the approval of the Government. The Corporation further agrees to pay to the Government within six months hereof the amount of ground rent paid or payable under the said sub-leases for the period prior to

the execution of this lease and to collect and pay to the Government ground rent due thereunder hereafter in accordance with the provisions of the next sub-clause.Clause 5 (ix) – **The Corporation will not sell, mortgage, sublet (except as here in before provided) or otherwise transfer or part with the possession of the whole or any part of the demised premises or its interest under this lease except with the previous consent in writing of the Government may enforce such terms and conditions including payment of ground rent, fee and premia as it may deem fit.**

As per the clause 10 of the revised lease deed executed between the President of India and the SRC Ltd., the Government means the Chairman, Kandla Port Trust as defined in the extract as under: -

Clause 10 – All approvals, consents, intimations and notices to be given under or in relating to those presents shall be in writing and any notice or communication to be so given or issued to the Corporation by or on behalf of the Government shall be given or issued by a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Transport and shall be considered as duly served if the same shall have been delivered to or left with or posted to the across of the Corporation at its registered office. **All powers exercised by the Development Commissioner Kandla or any officer or other authority empowered by the Government in this behalf, which has been now nominated to Chairman, Kandla Port Trust in lieu of the 'Development Commissioner, Kandla vide Ministry of Transport letter No. 2-PD-II (11) / 64 dated 16/12/1964.**

Accordingly, the transfer fee and mortgage fee is levied by Kandla Port Trust and Ground Rent of SRC plot is collected by the State Government of Gujarat from its inceptions.

अनुलग्नक ख

स्थानांतरण शुल्क एवं बंधक शुल्क हेतु खंड ख 3.2 का उत्तर

स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण और बंधक शुल्क हेतु अनुमति लीज डीड के निम्नलिखित खंड के अनुसार एकत्र की जाती है : -

28-11-1955 को भारत के राष्ट्रपति और एसआरसी लिमिटेड के बीच निष्पादित शीर्ष पट्टा के खंड 5 (ii) / 5 (ix) एवं 10 के प्रावधान : -

खंड 5 (ii) – कारपोरेशन हस्तांतरित परिसर का अधिकतम 100 एकड़ हिस्सा अपनी वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के प्रयोजनार्थ और हस्तांतरित परिसर का सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अतिरिक्त हिस्सा नगर के विकास एवं अस्पतालों, विद्यालयों, मंदिरों एवं सार्वजनिक संस्थानों जैसी लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित उद्देश्य के लिए बनाये रखेगा और हस्तांतरित परिसर के शेष हिस्से को सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक या अन्य उद्देश्यों के लिए उचित आकार के भूखंडों में विभाजित करेगा और इन्हें सरकार को सूचित करते हुए अपने शेयरधारकों को ऐसी नियम व शर्तों पर उपपट्टे पर देगा जिसमे अन्य बातों के साथ साथ यह शामिल होगा कि उप-पट्टाधारक उप-पट्टा की तारीख से प्रत्येक 25 वर्ष की समाप्ति पर उप-पट्टाधारण के समय सरकार द्वारा यथानिर्धारित अथवा इसके पश्चात् समय समय पर सरकार द्वारा यथासंशोधित उप-पट्टे पर लिए जाने वाले भूखंड अथवा भूखंडों से संबंधित भूमि के किराये का भुगतान सरकार की ओर से कारपोरेशन को करेगा इसके अतिरिक्त यह भी शामिल होगा कि उप-पट्टाधारक किसी भी रूप में उपपट्टे में अपने हितों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अथवा सरकार के लिखित में पूर्व-अनुमोदन के सिवाय एवं सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क या अधिमूल्य के भुगतान करने के सिवाय भूखंडों का उप-पट्टे के अलावा अन्य किसी उद्देश्य हेतु उपयोग का हस्तांतरण नहीं करेगा। सरकार एतदद्वारा इन उपखंडों के उद्देश्य के लिए विस्थापित व्यक्तियों के लाभ हेतु हस्तांतरित परिसर के अन्दर ऐसे भूखंडों के संबंध में जहाँ कारपोरेशन ने भवन और ढांचे का निर्माण करा दिया है, इस पट्टे के निष्पादन से पूर्व कारपोरेशन द्वारा प्रदत्त उपपट्टे को अनुमोदित करती है तथा कारपोरेशन एतदद्वारा सहमति व्यक्त करता है कि इस उपपट्टे की नियम व शर्तें पूर्वोक्त की तरह होंगी और सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगी। इसके अतिरिक्त कारपोरेशन इस पट्टे के निष्पादन से पूर्व अवधि के लिए उक्त उप-पट्टे के तहत प्रदत्त या भुगतान योग्य भूमि का किराया धनराशि इसके छः माह के अन्दर सरकार को अदा करने के लिए तथा इसके पश्चात् अगले उपखंड के प्रावधानों के अनुसार इसके तहत देय जमीन का किराया एकत्रित करने एवं सरकार को भुगतान करने के लिए सहमत है।

खंड 5 (ix) – कारपोरेशन हस्तांतरित परिसर को पूरा या उसके किसी हिस्से या इस पट्टे के तहत अपने हित को सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के सिवाय विक्रय, बंधक, उप-पट्टे(इससे पूर्व किये गए प्रावधान को छोड़कर) या अन्यथा हस्तांतरित या अधिकार में विभाजित नहीं करेगा। सरकार यथोचित जमीन का किराया, शुल्क एवं अधिमूल्य सहित नियम व शर्तें लागू कर सकती है।

भारत के राष्ट्रपति एवं एसआरसी लिमिटेड के मध्य निष्पादित संशोधित लीज डीड के खंड 10 के अनुसार सरकार का अर्थ निम्नवत उद्धरण में यथा परिभाषित अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट है :-

खंड 10 – इसके तहत दिए जाने वाले अथवा उन प्रस्तुतकर्ताओं से संबंधित सभी अनुमोदन, सहमतियाँ, सूचनाएँ एवं नोटिस लिखित में होंगे तथा सरकार द्वारा या सरकार की ओर से कारपोरेशन को दिए जाने वाले अथवा जारी कोई भी नोटिस अथवा सूचना पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव द्वारा दी जाएगी अथवा जारी की जाएगी और यदि इसे कारपोरेशन के पंजीकृत कार्यालय में पहुंचा दिया गया हो अथवा वहां छोड़ दिया गया हो अथवा डाक द्वारा भेजा गया हो तो इसे विधिवत प्रेषित के रूप में माना जायेगा। सभी शक्तियाँ विकास आयुक्त, कंडला अथवा इसके लिए शक्ति प्रदत्त किसी अधिकारी या किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएँगी जिसे अब परिवहन मंत्रालय के पत्र सं.2-पीडी-II(11)/64 दिनांक 16/12/1964 के माध्यम से 'विकास आयुक्त, कंडला' के बजाय अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट को नामित कर दिया गया है

तदनुसार स्थानांतरण शुल्क एवं बंधक शुल्क कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लगाया जाता है और एसआरसी भूखंड की जमीन का किराया गुजरात राज्य सरकार द्वारा इसके आरम्भ से ही एकत्रित किया जाता है।

तथापि पोर्ट ने अपने पत्र सं.एफए/एसी/3714/524 दिनांक 21/09/2017 (अनुलग्नक ख) के माध्यम से मंत्रालय से इस मामले में सलाह/निर्देश देने का अनुरोध किया है कि क्या सीएंडएजी द्वारा दी गयी हिदायत के अनुसार बंधक शुल्क एवं हस्तांतरण शुल्क सरकार को प्रेषित करना अपेक्षित है या इसे केपीटी द्वारा अपने पास बनाये रखना जारी रखा जाए ताकि लेखापरीक्षा का अनुच्छेद स्पष्ट हो सके।